अध्याय-IV

शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इस अध्याय में 'अपशिष्ट प्रबंधन' की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित छः अनुच्छेद शामिल है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

स्वायत्त शासन विभाग

4.1 अपशिष्ट प्रबंधन

कार्यकारी सारांश

क्षेत्रफल के संदर्भ में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बढ़ते शहरीकरण और बदलती जीवन शैली के साथ अपशिष्ट का उत्सर्जन एवं उसका उचित निस्तारण राज्य के लिए एक चुनौती बन गया है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने देश में ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट के निवारण एवं नियंत्रण को नियमित करने के लिए कई नियम जारी किए। अपशिष्ट प्रबंधन राज्य का विषय है और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वन हेतु स्थानीय निकाय उत्तरदायी है।

चयनित इकाईयों में अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राजस्थान सरकार ने 2015-17 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 292.81 करोड़ जारी किए, जिसमें से सभी शहरी स्थानीय निकायों ने आवंटित निधियों का मात्र 20.69 प्रतिशत उपयोग किया। जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में आवंटित निधियों का मात्र 7.27 प्रतिशत उपयोग किया गया।

उत्पन्न अपशिष्ट का अनुमान, भविष्य में उत्पन्न होने वाले संभावित अपशिष्ट का अनुमान, श्रम-शक्ति और वाहनों की आवश्यकता एवं अपशिष्ट से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न जोखिम का आकलन राज्य स्तर पर तथा जांच की गई 50 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों में और सभी जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं में नहीं किया गया था।

अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों और सभी ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट को 'कम करने, पुनःउपयोग और पुनःचक्रण' के लिए प्रभावी योजनाएं नहीं थी। अग्रेतर, शास्ति उद्ग्रहण के लिए उप-नियमों और पदनामित प्राधिकारियों की अनुपस्थिति में

जांच की गई किसी भी ग्राम पंचायत के द्वारा अपशिष्ट नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति अधिरोपित नहीं की गई थी।

ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों/नियमों का अनुपालन खराब था, वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के 55.41 प्रतिशत शहरी वार्डों में घर-घर से नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण नहीं किया गया था। जांच की गई सभी शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट को न तो पृथक और न ही संसाधित किया जा रहा था एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट खुली भूमि पर डाला जा रहा था। अग्रेतर, 22 में से मात्र तीन शहरी स्थानीय निकायों में भूमि-भरण स्थल निर्मित किए गए थे, तथापि इन भूमि-भरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में, जांच की गई 43 में से तीन ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट संग्रहित किया जा रहा था एवं अपृथक्कृत और असंसाधित नगरीय ठोस अपशिष्ट खुली भूमि पर डाला जा रहा था।

4.1.1 प्रस्तावना

क्षेत्रफल के सन्दर्भ में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या 6.85 करोड़ है (1.70 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं)। बढ़ते शहरीकरण और बदलती जीवन शैली के साथ अपशिष्ट का उत्सर्जन एवं उसका उचित निस्तारण राज्य के लिए एक चुनौती बन गया है। अपशिष्ट को (i) **ठोस अपशिष्ट** - घर का कचरा, निर्माण और विध्वंस का मलबा, स्वच्छता अपशिष्ट, कसाईखानों और पेकेजिंग घरों का एवं सड़कों का अपशिष्ट (ii) **प्लास्टिक अपशिष्ट** - प्लास्टिक उत्पाद जैसे थैली, पाउच एवं बहुपरत पेकेजिंग जिनका उपयोग या उनको नियत जीवनकाल के पश्चात फेंक दिया गया। (iii) **ई-अपशिष्ट** - जीवन समाप्त उत्पाद एवं विभिन्न प्रकार की विद्युत एवं विद्युतीय वस्तु[1] के रुप में संक्षेपित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अपशिष्ट जैसे कि बैटरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, खनन अपशिष्ट, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, त्याग दिए गए वाहन का अपशिष्ट, टायर अपशिष्ट, इत्यादि होते हैं।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने देश में अपशिष्ट के निवारण एवं नियंत्रण को नियमित करने के लिए कई अधिसूचनाएं जारी की हैं। इनमें ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंसक अपशिष्ट, उपयोग की जा चुकी बैटरियां, आदि के प्रबंधन एवं संचालन शामिल हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए नियम राज्यों पर भी लागू होते हैं, यद्यपि राज्य उनमें अपने अधिकारों का प्रयोग करके संशोधन कर सकते हैं।

1. विद्युत एवं विद्युतीय उपकरण अर्थात रेफ्रीजीरेटर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, चिकित्सा उपकरण, टेलीविजन इत्यादि।

4.1.2 संगठनात्मक ढांचा

यद्यपि अपशिष्ट प्रबंधन राज्य का एक विषय है, यह मूल रुप से स्थानीय निकायों (शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानो) का कार्य है और इस महत्वपूर्ण गतिविधि को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों का है।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग एवं प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग राज्य में क्रमश: शहरी स्थानीय निकायों एवं जिला परिषदों (ग्रामीण विभाग प्रकोष्ठ एवं पंचायती राज प्रकोष्ठ) के प्रशासनिक प्रमुख एवं नियंत्रक प्राधिकरण है। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्रमुख सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज्य में शहरी क्षेत्र के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नीति एवं योजना बनाने के लिए उत्तरदायी है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल राज्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विभिन्न नियमों के क्रियान्वयन में प्रवृत्त है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए एक प्रमुख अभिकरण है।

4.1.3 लेखापरीक्षा की व्याप्ति एवं पद्धति

यह निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2012-13 से 2016-17 के लिए अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 के दौरान आयोजित की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा में स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, निदेशालय स्थानीय निकाय, पर्यावरण विभाग, सात क्षेत्रीय कार्यालयों सहित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और आठ चयनित जिलों (33 में से) (***परिशिष्ट-XIV***) के 22 शहरी स्थानीय निकायों एवं 59 पंचायती राज संस्थानों का समावेश है। चयनित इकाइयों मे संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया गया। 22 शहरी स्थानीय निकायों[2] में दो नगर निगम, चार नगर परिषद एवं 16 नगरपालिका मंडल शामिल हैं। इसी तरह 59 पंचायती राज इकाइयों[3] में आठ जिला परिषदें, आठ पंचायत समितियां एवं 43 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इकाइयों का चयन जनसंख्या को उपयुक्त स्तरीकृत कर प्रतिचयन पद्धति द्वारा किया गया है।

सचिव, पंचायती राज विभाग एवं निदेशालय स्थानीय निकाय, पर्यावरण विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रतिनिधियों के साथ एक औपचारिक बैठक का आयोजन दिनांक 28 मार्च 2017 को किया गया है जिसमें लेखापरीक्षा

---

2. लेखापरीक्षा के लिए सात में से दो नगर निगमों, 34 में से चार नगर परिषदों और 147 में से 16 नगरपालिका मंडलों का चयन किया गया।
3. आठ जिला परिषदें, आठ पंचायत समितियां (प्रत्येक चयनित जिला परिषद में से एक) एवं 43 ग्राम पंचायतें (प्रत्येक चयनित पंचायत समितियों की 15 प्रतिशत)।

उद्देश्यों, मापदंड, कार्यक्षेत्र व पद्धति इत्यादि पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षो व अनुशंसाओं पर चर्चा करने के लिए प्रमुख सचिव, स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचायती राज विभाग और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 6 मार्च 2018 को निर्गम बैठक आयोजित की गई एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के अन्तिमीकरण के दौरान विभाग के प्रत्युत्तरों पर विचार किया गया।

4.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या :

1. आंकड़ों के संग्रहण सहित उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट का आंकलन किया गया एवं अपशिष्ट से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर होने वाले जोखिमो की पहचान की गई है;
2. ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए प्रभावी नियम/अधिनियम/नितियां/रणनीतियां उपलब्ध है और अपशिष्ट के निस्तारण के परे इसके रोकथाम, कमी, पुनःउपयोग एवं पुनःचक्रण पर जोर दिया गया है;
3. ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट का प्रबंधन एवं हथालन उपलब्ध नियमों/नीतियों के अनुसार किया गया है;
4. अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वन के लिए वित्तपोषण एवं बुनियादी ढांचा पर्याप्त थे और क्या एक प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र अस्तित्व में है।

4.1.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंडो के स्त्रोत थे :

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संहिता, 2000
- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए संबंधित नियम

- पर्यावरण विभाग/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल/राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल/स्वायत्त शासन विभाग/पंचायती राज विभाग/ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी संबंधित अधिनियम, अधिसूचनाएं, आदेश, परिपत्र एवं योजना दिशा-निर्देश, अनुदेश।

4.1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1: आंकड़ों के संग्रहण सहित उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट का आंकलन किया गया एवं अपशिष्ट से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर होने वाले जोखिमों की पहचान की गई है।

4.1.6.1 उत्सर्जित अपशिष्ट (वर्तमान एवं भविष्य) की मात्रा का आंकलन

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट संहिता 2000 (संहिता) के अनुच्छेद 3.3.1 के अनुसार ठोस अपशिष्ट की संरचना, विशिष्टता और मात्रा का एक विश्लेषण आवश्यक है क्योंकि यह अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया के नियोजन, परिरुप एवं संचालन के लिए आधारभूत आंकड़ें प्रदान करता है। समय-समय पर अपशिष्ट की सरंचना एवं मात्रा में परिवर्तन/प्रवृत्ति ज्ञात की जा सकती है जो कि भविष्य की योजनाओं के लिए सहायक होती है। यह जानकारी एक उत्तरदायी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा एकत्रित की जानी चाहिए।

प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसार निर्माताओं, आयातकों और ब्राण्ड मालिकों को उनके उत्पादों के कारण उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस लेने हेतु एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 अनुबंधित करता है कि ई-अपशिष्ट को नष्ट या पुन:चक्रित करने हेतु एकत्रित करने का वास्तविक लक्ष्य विद्युत और विद्युतीय उपकरणो की मात्रा, उत्पाद संकेतक के अनुसार, जो पिछले वर्षो में बाजार में लाये गये थे और उपकरणों के औसत जीवन के आधार पर तय किया जाएगा। निर्माता द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्पन्न ई-अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा सूचित की जाएगी और निर्माता द्वारा लागू की जाने वाली प्रस्तावित संकलन योजना के साथ एकत्रित की जाने वाली अपेक्षित मात्रा विस्तारित उत्पादक दायित्व योजना मे सूचित की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि :

(i) निदेशालय स्थानीय निकाय ने मात्र एक वर्ष 2015-16 के लिए शहरी क्षेत्रो में 6,400 मेट्रिक टन प्रति दिवस ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होना आंकलित किया।

(ii) निदेशालय, स्थानीय निकाय ने वर्ष 2012-2017 के दौरान शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न ई-अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का आंकलन नही किया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पास सम्पूर्ण राज्य में ई-अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट के आंकलन से संबंधित कोई सूचना नहीं है।

(iii) जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 (50 प्रतिशत)[4] ने अपने क्षेत्राधिकार में उत्पन्न ठोस/प्लास्टिक/ई-अपशिष्ट की मात्रा का आंकलन नही किया। शेष 11 शहरी स्थानीय निकायों ने जनसंख्या के आधार पर उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का आंकलन किया था और उसे एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रदर्शित किया गया जिसे की स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के भाग के रुप में बनाया गया था।

(iv) ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज विभाग ने उत्पन्न ठोस/प्लास्टिक/ई-अपशिष्ट का आंकलन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त सभी 59 जांच की गई पंचायती राज संस्थानों ने भी अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्रों में ठोस/ प्लास्टिक/ई-अपशिष्ट के उत्पादन की मात्रा का आंकलन नहीं किया था।

(v) निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले ठोस/प्लास्टिक/ई-अपशिष्ट की संरचना और मात्रा का अनुमान नहीं लगाया था।

(vi) जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 (50 प्रतिशत)[5] और सभी 59 पंचायती राज संस्थानों ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के अपशिष्ट की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया। शेष 11 जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में 2046 तक के लिए ठोस अपशिष्ट की मात्रा का मात्र एक मापदण्ड, भविष्य में शहरी क्षेत्रों की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर अनुमान लगाया था।

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग ने अवगत (मार्च 2018) कराया कि उत्पन्न अपशिष्ट से सम्बंधित आंकलन संबंधित नगरपालिकाओं द्वारा अपनी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में किया गया है। तथ्य यह रहा कि जांच की गई 50 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों ने उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का आंकलन नहीं किया।

---

4. देशनोक, फतेहनगर, जैतारण, करौली, नदबई, नगर, नोखा, सलूम्बर, सांभर, टोडाभीम और विराट नगर।
5. देशनोक, फतेहनगर, जेतारण, करौली, नदबई, नगर, नोखा, सलूम्बर, सांभर, टोडाभीम और विराट नगर।

4.1.6.2 अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वर्तमान एवं भविष्य की क्षमता का आंकलन

वर्तमान में उत्पन्न अपशिष्ट एवं उपलब्ध अपशिष्ट निस्तारण तंत्र (भस्मक, भराव क्षेत्र इत्यादि) का आंकलन, भविष्य में अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना की पर्याप्तता के आंकलन में सहायता करता है।

यह पाया गया कि स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ठोस/प्लास्टिक/ई-अपशिष्ट के साथ अन्य प्रकार के अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए भौतिक और वित्तीय सन्दर्भ में, मानव शक्ति एवं वाहनों की वर्तमान और भविष्य की क्षमता का आंकलन नहीं किया।

जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से, 11 (50 प्रतिशत)[6] ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मौजूदा क्षमता का आंकलन नहीं किया जबकि शेष 11 शहरी स्थानीय निकायों ने मौजूदा मानव शक्ति एवं वाहनों की क्षमता का आंकलन संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मे किया है। जबकि इन 11 में से मात्र पांच[7] शहरी स्थानीय निकायों ने भविष्य की क्षमता का आंकलन किया है। इसके अतिरिक्त सभी जांच की गई 43 ग्राम पंचायतों ने ठोस/प्लास्टिक/ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानव शक्ति एवं वाहनों की वर्तमान और भविष्य की क्षमता का आंकलन नहीं किया। जांच की गई इकाईयों में पाए गए निष्कर्षो पर **अनुच्छेद 4.1.6.11** में चर्चा की गई है।

इस प्रकार अपशिष्ट प्रबंध के लिए मानव शक्ति, वाहनों एवं उपकरणो की वर्तमान क्षमता एवं भविष्य की आवश्यकता के आंकलन के अभाव में, शहरी स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन अप्रभावी थे।

4.1.6.3 अपशिष्ट से पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर जोखिम का आंकलन

संहिता 2000 का अनुच्छेद 22.2.1 प्रावधित करता है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पर्यावरण एवं स्वास्थ्य प्रभाव आंकलन से पर्यावरण एवं जन-स्वास्थ्य पर होने वाले जोखिम को पहचानना और निवारक उपायों के सुझाव देने चाहिए। पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण पर प्रभावों की जानकारी की व्याख्या एवं प्रचार किया जाना चाहिए। तथापि, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य प्रभाव आंकलन में मुख्य रुप से शामिल है :

6. देशनोक, फतेहनगर, जैतारण, करौली, नदबई, नगर, नोखा, सलूम्बर, सांभर, टोडाभीम और विराटनगर।
7. अन्ता, बारां, भवानीमंडी, झालावाड और पिडावा।

1. पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान
2. पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जोखिमों की व्याख्या
3. पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जोखिमों का प्रबंधन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अपशिष्ट से पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर जोखिमों का कोई आंकलन नहीं किया।

जांच की गई 22 इकाईयों में से 11 शहरी स्थानीय निकायों एवं सभी 43 ग्राम पंचायतों ने अपने क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों में अपशिष्ट से पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर जोखिमों का कोई आंकलन नहीं किया। शेष 11 शहरी स्थानीय निकायों[8] में, यद्यपि आंकलन किया गया था, लेकिन यह आठ शहरी स्थानीय निकाय (पाली, सोजत सिटी एवं सुमेरपुर के अतिरिक्त) संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तक सीमित रहा और इन प्रतिवेदनों के निष्कर्षो को सार्वजनिक नहीं किया गया।

बारां में भूमि-भरण स्थल के कारण पर्यावरण/स्वास्थ्य पर जोखिम का प्रचार नहीं किया गया।

निदेशालय स्थानीय निकाय ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर जोखिम का आंकलन नगरपालिकाओं द्वारा संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मे किया गया है। तथ्य यह रहा कि 50 प्रतिशत जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों ने इस तरह का कोई आंकलन नहीं किया।

अपशिष्ट और पर्यावरण और स्वास्थ्य के जोखिम का आंकलन

शहरी क्षेत्रों मे उत्पन्न अपशिष्ट का आंकलन जनसंख्या के आधार पर मात्र एक वर्ष के लिए किया गया था। 50 प्रतिशत जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों एवं 100 प्रतिशत जांच की गई ग्राम पंचायतों में उत्पन्न अपशिष्ट, भविष्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का अनुमान, मानव-शक्ति एवं वाहनों की आवश्यकता और पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर जोखिम का आंकलन नहीं किया गया था। यद्यपि शेष 11 शहरी स्थानीय निकायों ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर जोखिम का आंकलन संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मे किया था, लेकिन इन प्रतिवेदनो के निष्कर्षो को सार्वजनिक नहीं किया गया था।

---

8. अन्ता, बारां, भवानीमंडी, बीकानेर, जयपुर, झालावाड़, मांगरोल, पाली, पिड़ावा, सोजतसिटी और सुमेरपुर।

अनुशंसाएं

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय में उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का समय-समय पर व्यापक आंकलन किया जाना चाहिए और जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रों, खंडवार (औद्योगिक, घरेलु, वाणिज्यिक, कृषि, पर्यटन इत्यादि) और मौसमी बदलाव के अनुसार नीति निर्माण में सहायता करने हेतु आंकड़ें एकत्रित करने चाहिए।

2. स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग को मानव-शक्ति, वाहनों और उपकरणों की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान लगाना चाहिए जिससे अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की राज्य में बेहतर योजना बनाई जा सके।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 2: ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए प्रभावी नियम/अधिनियम/नीतियां/रणनीतियां उपलब्ध है और क्या अपशिष्ट के निस्तारण के परे इसके रोकथाम, कमी, पुनःउपयोग एवं पुनःचक्रण करने पर जोर दिया गया है।

4.1.6.4 नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के प्रावधानों एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11 के अनुसार राज्य में शहरी विकास के प्रभारी सचिव राज्य के लिए इन नियमों की अधिसूचना की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में नीति एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति तैयार करेंगे।

(i) **ठोस अपशिष्ट** - स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2001) के लिए एक अलग से नीति जारी की और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपनियम मार्च 2015 में जारी किए। इसके अतिरिक्त, नगरीय ठोस अपशिष्ट के समुचित क्रियान्वयन के लिए 190 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र 62 शहरी स्थानीय निकायों (33 प्रतिशत) ने वर्ष 2015 एवं 2016 के दौरान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। निदेशालय, स्थानीय निकाय ने सूचित किया कि नगरपालिका मंडल, नोखा ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए थे जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका मंडल, नोखा ने किसी भी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के तैयार जाना स्वीकार नही (मई 2017) किया है।

(ii) **प्लास्टिक अपशिष्ट** - राजस्थान सरकार ने अगस्त 2010 से प्लास्टिक के थैलों के उपयोग पर प्रतिबंध (जुलाई 2010) लगा दिया था। इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु,

राजस्थान सरकार ने एक पृथक नीति जारी करने के बजाय सभी शहरी स्थानीय निकायों को केवल प्लास्टिक के थैलों को प्रतिबंधित करने एवं कार्य योजना तैयार करने के निर्देश (जून 2011) दिए थे। यद्यपि, जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में देखा गया कि प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोई कार्य योजना तैयार नही की गई थी।

***(iii)* ई-अपशिष्ट** - ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 12(3) के अनुसार, राजस्थान सरकार को इन नियमों के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एकीकृत योजना तैयार करनी थी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। यद्यपि नियम 12(3) के अन्तर्गत ऐसी कोई एकीकृत योजना राजस्थान सरकार द्वारा तैयार नही की गई थी।

4.1.6.5 पुनःउपयोग, पुनःचक्रण एवं कमी से अपशिष्ट की रोकथाम

एक प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन नीति में उत्पादो से अधिकतम व्यवहारिक लाभों को निकालना और उससे उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट उत्पादन को उपचार द्वारा कम करना होता है एवं अपशिष्ट निस्तारण करना न्यूनतम अनुकूल विकल्प है। 'कमी, पुनःउपयोग एवं पुनःचक्रण' करने का सिद्वांत अपशिष्ट को रोकने एवं कम करने के लिए रणनीतियों और कार्यक्रमों पर बल देता है।

यह देखा गया कि यद्यपि नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000/मार्च 2015 के उपनियम/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में अपशिष्ट को कम करने, पुनःउपयोग एवं पुनःचक्रित करने को प्राथमिकता दी गई थी परन्तु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं निदेशालय स्थानीय निकाय ने ठोस/प्लास्टिक/ई-अपशिष्ट को कम करने और राज्य में पुनःचक्रित एवं पर्यावरण के अनुकुल उत्पादो के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया। जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों मे से 11 शहरी स्थानीय निकायों[9] (50 प्रतिशत) ने ऐसी कोई रणनीति तैयार नहीं की थी। अग्रेतर 11 शहरी स्थानीय निकायों में जहां विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के भाग के रुप में ऐसी रणनीतियां तैयार की गई थी, वहां भी अब तक इन रणनीतियों के संचालन के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी।

मात्र जयपुर शहर में, नगर निगम, जयपुर द्वारा रिफ्यूज्ड ड्राईवड फ्यूल (आरडीएफ) और कम्पोस्टिंग तकनीक का उपयोग ठोस अपशिष्ट को पुनःचक्रित करने में किया गया था। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस/प्लास्टिक/ई-अपशिष्ट को कम, पुनःउपयोग एवं पुनःचक्रित करने के लिए पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कोई रणनीति/कार्यक्रम नही बनाया गया था।

9. देशनोक, फतेहनगर, जैतारण, करौली, नगर, नदबई, नोखा, सलूम्बर, सांभर, टोडाभीम और विराटनगर।

4.1.6.6 अपशिष्ट के पृथक्करण/पुनःचक्रण में अपशिष्ट चुनने वालों की भूमिका की पहचान।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15(सी) के अनुसार, स्थानीय निकाय अपशिष्ट चुनने वाले/अनौपचारिक अपशिष्ट एकत्रित करने वालो को पहचानने के लिए एक प्रणाली की स्थापना करेंगे और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण में उनकी भागीदारी को सहज बनायेंगे। अग्रेतर तत्रैत नियम 11(एम) प्रावधित करता है कि शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट चुनने वालो एवं अपशिष्ट वितरकों के पंजीकरण के लिए एक योजना शुरु करेंगे।

यह देखा गया कि जांच की गई किसी भी पंचायती राज संस्थानों ने एवं जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 20 (91 प्रतिशत) शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट चुनने वालों की पहचान और पंजीकरण नहीं किया। मात्र नगर निगम, बीकानेर द्वारा 333 अपशिष्ट चुनने वालो की पहचान एवं पंजीकरण किया गया और नगर परिषद, पाली ने अपशिष्ट चुनने वालो को पंजीकरण कार्ड जारी किए। अग्रेतर, जांच की गई किसी भी शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं नें अपशिष्ट वितरकों को पंजीकृत नही किया।

निदेशालय स्थानीय निकाय ने अवगत (मार्च 2018) कराया कि अपशिष्ट चुनने वालो को एकीकृत करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों का निर्देश जारी किए जा चुके है।

4.1.6.7 नियमों के उल्लंघन पर शास्ति का उद्ग्रहण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का नियम 15 (जैडएफ) प्रावधित करता है कि शहरी स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायतें उप-नियम बनायेंगी और उन व्यक्तियों के लिए शास्ति उद्ग्रहण करने के लिए मानदंड निर्धारित करेगी जो नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने मे विफल रहते हैं और अधिकारियों या स्थानीय निकायों को शास्ति उद्ग्रहण करने के लिए अधिकार सौंपेगी।

जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि उचित नियमों/उपनियमों के अन्तर्गत पर्याप्त शक्तियां होने के उपरान्त भी 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 12 (55 प्रतिशत) ने अपशिष्ट से संबंधित कानूनों के उल्लंघन पर कोई शास्ति उद्ग्रहित नहीं की। शेष 10 शहरी स्थानीय निकायों[10] ने अपशिष्ट से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर ₹ 13.80 करोड़ की शास्ति उद्ग्रहित की। इस प्रकार जांच की गई 45 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकाय कानूनों के उल्लंघन पर कार्यवाही कर रहे थे।

---

10. बीकानेर : ₹ 3.42 लाख, जयपुर : ₹ 1373.86 लाख, करौली : ₹ 0.57 लाख, नदबई : ₹ 0.18 लाख, नगर : ₹ 0.12 लाख, पाली : ₹ 0.96 लाख, सांभर : ₹ 0.12 लाख, सुमेरपुर : ₹ 0.12 लाख, विराटनगर : ₹ 0.05 लाख, टोडाभीम : ₹ 0.47 लाख।

निदेशालय स्थानीय निकाय ने अवगत (मार्च 2018) कराया कि शास्ति के उद्ग्रहण के लिए शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश और परिपत्र जारी कर दिए गए हैं।

यद्यपि, ग्राम पंचायतों में शास्ति उद्ग्रहित करने हेतु पंचायती राज विभाग/ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किसी भी प्राधिकरण को कोई उत्तरदायित्व नहीं सौंपा गया।

<u>नियम/विनियम/नीतियों और रणनीतियों का अस्तित्व</u>

यद्यपि पर्याप्त अधिनियम, नियम और नीतियां उपलब्ध थी, परन्तु अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों एवं सभी ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट को 'कम, पुन:उपयोग और पुन:चक्रण' करने की कोई प्रभावी रणनीति/योजना नहीं थी। इस प्रकार अपशिष्ट को कम, पुन:उपयोग और पुन:चक्रण करने की बजाय अधिकांश प्रयास निस्तारण रणनीतियों पर निर्देशित थे। यद्यपि अपशिष्ट चुनने वालो की पहचान और पंजीकरण के लिए नियम उपलब्ध थे, जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों मे से 20 शहरी स्थानीय निकायों एवं जांच की गई सभी ग्राम पंचायतो ने अपशिष्ट चुनने वालो की पहचान और पंजीकरण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, शास्ति उद्ग्रहित करने के लिए उप-नियमों एवं नामित प्राधिकरणों के अभाव में, जांच की गई किसी भी ग्राम पंचायतों ने अपशिष्ट से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की।

अनुशंसाएं :

3. सभी शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करनी चाहिए और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रभावी रणनीतियां भी प्रयुक्त करनी चाहिए जिनमें अपशिष्ट को कम, पुन:उपयोग और पुन:चक्रण करने की रणनीतियां भी शामिल हैं।

4. शहरी स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट वितरकों एवं अपशिष्ट चुनने वालो की भागीदारी को सहज और नियमित करने के लिए उनकी पहचान एवं पंजीकरण करना चाहिए।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 3: क्या ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट का प्रबंधन एवं हथालन उपलब्ध नियमों/नीतियों के अनुसार किया गया है।

4.1.6.8 ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन एवं हथालन

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 प्रत्येक नगरपालिका प्राधिकरण को नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, ढुलाई, प्रसंस्करण एवं निस्तारण के लिए अवसंरचना

के विकास के लिए उत्तरदायी बनाता है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को अपशिष्ट निस्तारण की सुविधाएं स्थापित करने का प्राधिकार स्वीकृत करने और इसका अनुश्रवण करने का उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है की अपशिष्ट का निस्तारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निर्धारित अनुपालन मानदंडों को पूरा करता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं।

नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, ढुलाई, प्रसंस्करण एवं निस्तारण से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है :

(i) ठोस अपशिष्ट का संग्रहण

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 की अनुसूची-II एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का नियम 15 यह प्रावधित करता है कि नगरपालिका/प्रचालक द्वारा विशिष्ट गतिविधियां यह सुनिश्चित करने के लिए की जाए की नगरपालिका क्षेत्र में उत्पन्न सम्पूर्ण अपशिष्ट संग्रहित कर लिया गया है।

स्वायत्त शासन विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि वर्ष 2016-17 के दौरान, घर-घर अपशिष्ट संग्रहण राज्य की सभी शहरी स्थानीय निकायों के 5,270 वार्डो में से 2,920 (55.41 प्रतिशत) वार्डो में नहीं किया जा रहा था। निदेशालय स्थानीय निकाय ने अपने प्रत्युत्तर (मार्च 2018) मे अवगत कराया कि घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण राज्य के 5,359 वार्डो में से 5,107 वार्डो में किया जा रहा है और शेष वार्डो को मार्च 2018 तक समाविष्ट कर लिया जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा यह दावा सत्यापित नहीं किया जा सका।

वर्ष 2012-17 के दौरान जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों (691 वार्डो) में से सात शहरी स्थानीय निकायों[11] (195 वार्डो) द्वारा घर-घर से नगरीय अपशिष्ट संग्रहण नहीं किया जा रहा था और आठ शहरी स्थानीय निकायों[12] में घर-घर से नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण आंशिक रुप से 316 वार्डो में से मात्र 149 वार्डो में किया गया था और मात्र सात शहरी स्थानीय निकायों[13] में सभी 180 वार्डो में घर-घर से नगरीय अपशिष्ट संग्रहण किया गया था। इस प्रकार सभी जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में, 52.39 प्रतिशत वार्डो में घर-घर नगरीय अपशिष्ट संग्रहण नहीं किया जा रहा था।

---

11. अन्ता (25 वार्ड), बारां (45 वार्ड), भवानीमंडी (30 वार्ड), करौली (40 वार्ड), मांगरोल (20 वार्ड), पिड़ावा (15 वार्ड) और विराटनगर (20 वार्ड)।
12. बीकानेर (60 में से 40 वार्ड), देशनोक (20 में से 10 वार्ड), फतेहनगर (20 में से 10 वार्ड), जयपुर (90 में से 24 वार्ड), टोडाभीम (20 में से 4 वार्ड), झालावाड (35 में से 8 वार्ड), पाली (50 में से 45 वार्ड) और सलूम्बर (20 में से 8 वार्ड)।
13. जैतारण (20 वार्ड), नदबई (25 वार्ड), नगर (25 वार्ड), नोखा (35 वार्ड), सांभर (20 वार्ड), सोजतसिटी (30 वार्ड) और सुमेरपुर (25 वार्ड)।

ग्रामीण इलाकों में घर-घर से ठोस अपशिष्ट संग्रहण के सम्बंध में, नोडल विभागों अर्थात ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। जांच की गई ग्राम पंचायतों में, घर-घर से ठोस अपशिष्ट संग्रहण 43 ग्राम पंचायतों में से मात्र तीन ग्राम पंचायतों[14] (सात प्रतिशत) में किया जा रहा था।

(ii) ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 की अनुसूची-II प्रावधित करती है कि ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम/संचालक द्वारा विशिष्ट गतिविधियां की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 यह प्रावधित करता है कि ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण स्त्रोत पर ही किया जाना चाहिए था और पृथक्कृत अपशिष्ट को विभिन्न श्रेणियों जैसे की जैव-निम्नीकरणीय, पुनःउपयोग योग्य, हानिकारक इत्यादि में रखा जाना था।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण के संबंध में, नोडल विभागों जैसे की निदेशालय स्थानीय निकाय, पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

जांच के दौरान पाया गया कि 22 शहरी स्थानीय निकायों एवं 43 ग्राम पंचायतों में से किसी ने भी ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं किया था।

निदेशालय स्थानीय निकाय ने अवगत (मार्च 2018) करवाया कि अपशिष्ट संग्रहण वाहनों (आटो टिपर्स) को गीले एवं सूखे अपशिष्ट हेतु वर्गीकरण किया गया है। प्रत्युत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण स्त्रोत पर नहीं किया जा रहा था।

(iii) ठोस अपशिष्ट का भंडारण

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 की अनुसूची-II प्रावधित करती है कि (i) नगरपालिका प्राधिकरणों को संग्रहित एवं पृथक्कृत अपशिष्ट के उचित भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए भंडारण सुविधाओं की स्थापना एवं उन्हें बनाए रखना चाहिए। भंडारण सुविधाओं का निर्माण एवं स्थापना किसी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की मात्रा और जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रख कर की जानी चाहिए; (ii) अपशिष्ट के संचालन, स्थानांतरण और परिवहन के लिए भंडारण सुविधाएं या अपशिष्ट पात्रों की संरचना 'संचालन में आसान', होनी चाहिए। जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट के भंडारण के लिए अपशिष्ट पात्र का रंग हरा, जो कि पुनःउपयोग

14. मनोहरपुर (पंचायत समिति: शाहपुरा, जिला जयपुर), मालनवास एवं सुमेर (पंचायत समिति: खानपुर, जिला झालावाड़)

योग्य अपशिष्ट के भंडारण के लिए है, उन अपशिष्ट पात्रों का रंग सफेद और जो कि अन्य अपशिष्ट के भंडारण के लिए है उन अपशिष्ट पात्रों का रंग काला होना चाहिए। (iii) आवारा जानवरों को अपशिष्ट भंडारण सुविधाओं के आस-पास भटकने नहीं देना चाहिए। (iv) कहीं भी स्थापित अपशिष्ट पात्रों एवं डिब्बों को अधिप्रवाह से पहले साफ कर देना चाहिए। अग्रेतर, उप-नियम 2015 का नियम 5(i) प्रावधित करता है कि दो भंडारण सुविधाओं (अपशिष्ट पात्रों) में कम से कम 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

जांच की गई 43 ग्राम पंचायतों में से 40 (93 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों में भंडारण सुविधाएं नही थी और मात्र तीन ग्राम पंचायतों[15] में अपशिष्ट भंडारण के लिए अपशिष्ट पात्र उपलब्ध थे। अग्रेतर, तीन ग्राम पंचायतों[16] में ना तो अपशिष्ट पात्र अपशिष्ट के संचालन, स्थानांतरण और परिवहन करने के लिए आसान संरचना में थे और ना ही निर्धारित रंग प्रारुप में थे। जांच की गई सभी ग्राम पंचायतों में भंडारण सुविधाओं को आवारा पशुओं की पहुंच से संरक्षण उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार, पर्याप्त भंडारण सुविधाएं ना होने के कारण मिश्रित ठोस अपशिष्ट खुले क्षेत्रों में डाला गया था। इससे उत्पन्न अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों ने मानव स्वास्थ्य को एवं पर्यावरण को दूषित किया।

(iv) परिवहन

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 की अनुसूची-II एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का नियम 15 प्रावधित करता है कि ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण/ निस्तारण करने के लिए परिवहन स्वास्थ्यकर तरीके से हो और अपशिष्ट ना फैले, यह सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम/संचालक द्वारा विशिष्ट गतिविधियों का सम्पादन किया जाना चाहिए। इस संबंध में लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि :

(अ) जांच की गई 11 शहरी स्थानीय निकायों में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट का परिवहन खुले वाहनों में किया जा रहा था जबकि शेष 11 शहरी स्थानीय निकायों[17] (50 प्रतिशत) में इसका परिवहन खुले व ढके हुए दोनों वाहनों में किया जा रहा था। जांच की गई 43 ग्राम पंचायतों में, 40 ग्राम

15. मनोहरपुर (पंचायत समितिः शाहपुरा, जिला जयपुर), मालनवास एवं सुमेरपुर (पंचायत समितिः खानपुर, जिला झालावाड़)
16. मनोहरपुर (पंचायत समितिः शाहपुरा, जिला जयपुर), मालनवास एवं सुमेरपुर (पंचायत समितिः खानपुर, जिला झालावाड़)
17. बीकानेर, फतेहनगर, जयपुर, जैतारण, करौली, नदबई, नगर, पाली, सोजतसिटी, सुमेरपुर और टोडाभीम।

पंचायतों में अपशिष्ट का संग्रहण नहीं किया जा रहा था, तीन ग्राम पंचायतों[18] में अपशिष्ट का परिवहन खुले वाहनों में किया जा रहा था।

बीकानेर में अपशिष्ट का खुले वाहन में परिवहन

सेवापुरा अपशिष्ट मैदान, जयपुर में अपशिष्ट का खुले वाहन में परिवहन

(ब) जांच की गई 16 शहरी स्थानीय निकायों[19] और तीन ग्राम पंचायतों (जहां अपशिष्ट का परिवहन किया गया था) में अपशिष्ट के परिवहन हेतु उपयोग किए गए वाहनों की सरंचना अपशिष्ट के निस्तारण से पूर्व उसे बहु-संचालन से बचाने के लिए नहीं थी। केवल छः शहरी स्थानीय निकायों नें अपशिष्ट परिवहन हेतु उपयोग किए गए वाहनों की सरंचना अपशिष्ट के निस्तारण से पूर्व उसे बहु-संचालन से बचाने के लिए थी। इस प्रकार, खुले वाहनों के उपयोग एवं वाहनों की अनुचित सरंचना के कारण अपशिष्ट खुले वातावरण में फैला एवं खुला पड़ा रहा जिसके परिणामस्वरुप अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां रही।

(v) परिवहन से संबंधित अन्य निष्कर्ष

(अ) ठोस अपशिष्ट के परिवहन पर ₹ 16.46 करोड़ का परिहार्य व्यय

जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखो की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि तीन शहरी स्थानीय निकायों (बीकानेर, पाली, सुमेरपुर) ने अपने क्षेत्राधिकार में उत्पन्न अपशिष्ट के परिवहन के लिए स्वयं के वाहनों की पर्याप्त क्षमता होने के उपरान्त भी मानव-शक्ति सहित किराए के वाहनों पर ₹ 16.46 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। इस परिहार्य व्यय का विवरण निम्न **तालिका 4.1** में दिया गया है :

18. मनोहरपुर (पंचायत समिति: शाहपुरा, जिला जयपुर), मालनवास एवं सुमेर (पंचायत समिति: खानपुर, जिला झालावाड़)।
19. अन्ता, बारां, बीकानेर, देशनोक, जैतारण, झालावाड़, करौली, मंगरोल, नदबई, नगर, नोखा, पाली, पिड़ावा, सलूम्बर, सांभर और विराटनगर।

तालिका 4.1

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	मानदंड के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा	परिवहन की गई अपशिष्ट की वास्तविक मात्रा	स्वयं के कार्यरत वाहन की उपलब्ध क्षमता	किराये के वाहनों की क्षमता	अवधि	परिहार्य व्यय (करोड़ में)
	(मैट्रिक टन प्रतिदिन में)					
नगर निगम, बीकानेर	284	210	296[20]	312	8/14 से 3/2017	9.73
नगर परिषद, पाली	74.82	74.80 (स्वयं के वाहन द्वारा किया गया[21])	55.8[22]	188.80	1/13 से 03/2017	4.74
नगर पालिका मंडल, सुमेरपुर	7.83	7.26	22.60	उपलब्ध नही (एकमुश्त अनुबंध दिया गया)	2012-17	1.99
कुल						**16.46**

स्त्रोत: संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अपशिष्ट के परिवहन के लिए स्वयं के वाहनों की पर्याप्त क्षमता होने के उपरान्त भी निजी ठेकेदारों से वाहन किराए लेने पर इन तीनों शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ₹ 16.46 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया, जिसे बचाया जा सकता था।

ध्यान में लाए जाने पर, नगर निगम, बीकानेर ने अवगत (मई 2017) कराया कि उसके क्षेत्राधिकार में वृह्द क्षेत्र है एवं उसके पास अपशिष्ट के परिवहन के लिए पर्याप्त मात्रा में वाहन नहीं थे और इसीलिए वाहन किराए पर लिए गए। नगर

---

20. 11 डम्पर (11 x 8 मैट्रिक टन x 2 यात्रा) = 176 मैट्रिक टन, 12 ट्रैक्टर (12 x 2 मैट्रिक टन x 2 यात्रा) = 48 मैट्रिक टन एवं 3 रिफ्यूज कौम्पेक्टर (3 x 12 मैट्रिक टन x 2 यात्रा) = 72 मैटिक टन (कुल 296 मैट्रिक टन प्रति दिवस) (नियमावली, 2000 के अनुच्छेद 13.4.3 के अनुसार सभी वाहनों का डिब्बे उठाने के लिए दो पारी में उपयोग किया जा सकता है।
21. नगर पालिका, पाली के सम्पूर्ण अपशिष्ट का स्वयं के वाहन से परिवहन, वाहनों की यात्राओं की संख्या में वृद्धि निम्न प्रकार है : एक डम्पर प्लेसर 4.8 मैट्रिक टन x 4 यात्रा प्रति दिवस (कुल 19.20 मैट्रिक टन प्रति दिवस); एक रिफ्यूज कौम्पेक्टर: 9.5 मैट्रिक टन x 4 यात्रा प्रति दिवस (कुल 38 मैट्रिक टन प्रति दिवस); दो आटो टिपर: 1.2 मैट्रिक टन x 4 यात्रा प्रतिदिन (कुल 4.80 मैट्रिक टन प्रति दिवस); दो आटो हूपर : 2 मैट्रिक टन x 4 यात्रा प्रतिदिन (कुल 8 मैट्रिक टन प्रति दिवस); एवं एक ट्रैक्टर : 1.2 मैट्रिक टन x 4 यात्रा प्रतिदिन (कुल 4.80 मैट्रिक टन प्रति दिवस);. कुल 74.80 मैट्रिक टन प्रति दिवस।
22. रिफ्यूज कौम्पेक्टर : 1 x 9.5 x 2 यात्रा = 19 मैट्रिक टन, डम्पर प्लेसर : 1 x 4.8 x 2 यात्रा = 9.6 मैट्रिक टन, आटो रिक्शा : 2 x 0.6 x 2 यात्रा = 2.4 मैट्रिक टन, आटो हूपर : 2 x 1.2 x 2 यात्रा = 4.8 मैट्रिक टन, ट्रैक्टर : 5 x 2 x 2 यात्रा = 20 मैट्रिक टन (कुल 55.8 मैट्रिक टन प्रति दिवस) (नियमावली, 2000 के अनुच्छेद 13.4.3 के अनुसार सभी वाहनों का डिब्बे उठाने के लिए दो पारी मे उपयोग किया जा सकता है।

परिषद, पाली ने अवगत (मई 2017) कराया कि पाली चूंकि औद्योगिक क्षेत्र है इसलिए दूसरे शहरों की तुलना में अधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, इसी कारण से स्वयं के वाहनों के अतिरिक्त निजी वाहनों का भी अपशिष्ट परिवहन के लिए उपयोग किया गया। नगरपालिका मंडल, सुमेरपुर ने अवगत (मई 2017) कराया कि नगरपालिका मंडल के पास अपशिष्ट परिवहन के लिए पर्याप्त मानव क्षमता एवं वाहन नहीं है और इसी कारण से निजी ठेकेदारों को इस प्रयोजन हेतु प्रवृत्त किया गया था।

प्रत्तयुतर युक्तियुक्त नही थे क्योंकि इन शहरी स्थानीय निकायों के पास अपशिष्ट परिवहन के लिए पर्याप्त क्षमता के कार्यरत वाहन थे और अगर मानव क्षमता उपलब्ध नहीं थी तो उपलब्ध बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुये संविदात्मक श्रम के बारे में विचार किया जा सकता था।

(ब) अनियमित समय वृद्धि

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 73 के अनुसार अतिरिक्त वस्तुओं या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरावृत्त आदेश ठेकेदार को प्राप्त सामग्री की कुल लागत का 50 प्रतिशत या अनुबंध पत्र की आनुपातिक अवधि के आधार पर जारी किए जा सकते हैं यदि सामग्री क्रेता विभाग के निविदा दस्तावेज मे ऐसा प्रावधान है।

शहरी स्थानीय निकाय पाली, जैतारण और सुमेरपुर ने अपशिष्ट के परिवहन एवं अन्य उद्देश्य के लिए किराए पर वाहन लेने के लिए निजी फर्मो को निम्न **तालिका 4.2** मे दर्शाए गए विवरणानुसार पुनरावृत्त आदेश जारी किए :

तालिका 4.2

(₹ लाख में)

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	मूल कार्यादेश		समय एवं मूल्य के अनुमत्य विस्तार (मूल कार्य के 50 प्रतिशत तक)		निष्पादित कार्य का वास्तविक समय एवं मूल्य		अनियमित कार्य वृद्धि		उद्देश्य
	अनुबंध में अनुमत्य समयावधि (माह)	राशि	अवधि (माह)	राशि	अवधि (माह)	राशि	अवधि (माह) (6-4)	राशि (प्रतिशत) (7-5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नगर परिषद, पाली	1.1.13 से 31.12.13 (12 माह)	17.52	18	26.28	27	46.24	9	19.96 (113.93)	अपशिष्ट परिवहन के लिए किराये पर वाहन
	1.1.13 से 31.12.13 (12 माह)	26.46	18	39.69	27	65.79	9	26.10 (98.64)	
	20.6.13 से 20.9.13 (तीन माह)	12.15	4.5	18.23	14.5	38.42	10	20.19 (166.17)	
नगर पालिका मंडल, सुमेरपुर	1.5.12 से 31.3.13 (11 माह)	25.51	16.5	38.27	23	56.95	6.5	18.68 (73.23)	अपशिष्ट परिवहन के लिए किराये पर वाहन
नगर पालिका मंडल, जैतारण	1.4.2012 से 31.3. 2013 (12 माह)	3.83	18	5.75	56	19.79	38	14.04 (366.58)	संविदा पर मजदूर
							कुल	**98.97**	
स्त्रोत: संबंधित शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त सूचना									

उक्त तालिका दर्शाती है कि शहरी स्थानीय निकायों ने अनुबंध अवधि में वृद्धि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार अनुमत्य सीमा से छः से 38 माह से अधिक समय तक वृद्धि की थी और पुनरावृत्त कार्यादेश पर ₹ 0.99 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया। विस्तारित अवधि में राशि के मामलों में निष्पादित कार्य, अनुबंध की वास्तविक अवधि में निष्पादन से कहीं अधिक थे और यह 366.58 प्रतिशत एवं 73.23 प्रतिशत के मध्य विस्तारित थे। अग्रेतर, नगरपालिका मंडल, सुमेरपुर ने ना केवल अनुमत्य सीमा के बाद अनुबंध अवधि में वृद्धि की अपितु विस्तारित अवधि में दरों में भी 13 प्रतिशत की वृद्धि की थी।

ध्यान में लाए जाने पर, नगर परिषद, पाली एवं नगरपालिका मंडल, जैतारण द्वारा यह अवगत कराया (मई 2017 एवं जून 2017) गया कि कार्य की अत्यावश्यकता एवं निविदा प्रक्रिया में अनुमानित विलम्ब के कारण ठेकेदारों को समयावृद्धि की अनुमति दी गई थी। जबकि नगरपालिका मंडल, सुमेरपुर द्वारा यह अवगत (मई 2017) कराया गया कि समय में विस्तार ठेकेदार के संतोषजनक कार्य के आधार पर और सक्षम समिति के अनुमोदन के पश्चात दिया गया था।

शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह उपयुक्त नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध था। इस प्रकार, सभी शहरी स्थानीय निकायों ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का उल्लंघन करते हुए ₹ 0.99 करोड़ का अनियमित भुगतान किया और ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया।

(vi) ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 की अनुसूची-II एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का नियम 15 प्रावधित करता है कि नगरपालिका प्राधिकरणों को उपयुक्त तकनीक या तकनीकों के संयोजन को अपनाते हुए भूमि-भरण स्थल का भार कम करने के लिए अपशिष्ट का उपयोग करना चाहिए। अपशिष्ट को संतुलित करने के उपायों में कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, अवायवीय पाचन एवं इसी तरह के अन्य जैविक उपाय शामिल है। विशिष्ट प्रकरणों में अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए अपशिष्ट को ऊर्जा प्राप्ति सहित अथवा उसके बिना गोला बनाकर जलाना शामिल है।

अग्रेतर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का नियम 21 यह प्रावधित करता है कि 1500 किलो/कैलोरी/किलोग्राम कैलोरिफिक या उससे अधिक मूल्य वाले गैर-पुनर्नवनीकरण योग्य अपशिष्ट का निस्तारण भूमि-भरण स्थल पर नही करना चाहिए और इसका उपयोग या तो आरडीएफ के माध्यम से या आरडीएफ तैयार करने के लिए आपूर्ति भण्डार के रुप में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाना चाहिए।

(अ) जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 21 (जयपुर को छोड़कर) मे पाया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण से पूर्व प्रसंस्करण नही किया गया था और अपशिष्ट का प्रसंस्करण किए बिना खुले मैदान में ही डाला जा रहा था। यद्यपि, नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण जयपुर में कम्पोस्ट संयंत्र एवं आरडीएफ संयंत्र द्वारा किया जा रहा था, संयंत्रों को पूर्ण क्षमता अनुसार उपयोग नहीं लिया जा रहा था (1300 मैट्रिक टन प्रति दिवस अपशिष्ट उपलब्ध होने के उपरान्त भी) क्योंकि कम्पोसट संयंत्र को 250 मैट्रिक टन प्रति दिवस की प्रसंस्करण क्षमता के विरुद्ध मात्र 150 (60 प्रतिशत) मैट्रिक टन प्रति दिवस अपशिष्ट प्राप्त हो रहा था जबकि आरडीएफ संयंत्र को 350 मैट्रिक टन प्रति दिवस की प्रसंस्करण क्षमता के विरुद्ध मात्र 61 मैट्रिक टन प्रति दिवस (17.43 प्रतिशत) अपशिष्ट प्राप्त हुआ था।

इसके अतिरिक्त, जांच की गई सभी 43 ग्राम पंचायतों में, किसी भी प्रकार की सुविधा के अभाव में ठोस अपशिष्ट का निस्तारण से पूर्व प्रसंस्करण नही किया जा रहा था।

(ब) यह भी पाया गया कि वर्ष 2012-17 के दौरान 'अपशिष्ट से ऊर्जा' संयंत्र किसी भी जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में स्थापित नही किया गया था। यद्यपि, जयपुर शहर में अप्रैल 2017 में 'अपशिष्ट से ऊर्जा' संयंत्र स्थापित करने के लिए एक अनुबंध किया गया था।

निदेशालय, स्थानीय निकाय ने अवगत (मार्च 2018) कराया कि राज्य स्तर पर, वर्तमान में सम्पूर्ण अपशिष्ट का 10 प्रतिशत का प्रसंस्करण किया जा रहा है और 19 प्रसंस्करण संयंत्र निर्माणाधीन है।

(स) प्रसंस्करण संयंत्र पर निष्फल व्यय

निदेशालय स्थानीय निकाय ने पाली मे बारहवें वित्त आयोग के अनुदान के अन्तर्गत 75 मैट्रिक टन प्रति दिवस की क्षमता वाले कम्पोस्ट संयंत्र की स्थापना को स्वीकृत (अगस्त 2007) किया। आवास विकास लिमिटेड ने कम्पोस्ट संयंत्र का सिविल कार्य किया और एक फर्म को नगरीय ठोस अपशिष्ट को कम्पोस्ट में परिवर्तित करने के लिए यांत्रिक संयंत्र की आपूर्ति एवं स्थापना करने हेतु कार्यादेश (सितम्बर 2007) जारी किया। यह पाया गया कि नवम्बर 2017 तक नगर परिषद, आवास विकास लिमिटेड और फर्म के बीच कोई त्रि-पक्षीय अनुबंध नही किया गया था। इसलिए संयंत्र परिचालन में नहीं आ पाया। इस प्रकार, प्रसंस्करण संयंत्र के निर्माण पर हुआ ₹ 1.72 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय निष्फल रहा।

(vii) ठोस अपशिष्ट का निस्तारण

(अ) भूमि-भरण स्थल का विकास

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 की अनुसूची-II एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची-I के अनुसार भूमि-भरण उन गैर जैव-निम्नीकरणीय, निष्क्रिय अपशिष्ट एवं अन्य अपशिष्ट तक सीमित रहना चाहिए जो या तो पुनःचक्रित करने या जैविक प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं है। अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के अवशेषों के साथ-साथ अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्रसंस्करण से पूर्व उपेक्षित अपशिष्ट के लिए भी भूमि-भरण किया जाना चाहिए। मिश्रित अपशिष्ट का भूमि भराव तब तक नही किया जाएगा जब तक वह अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए अनुपयुक्त नहीं पाया जाता। अग्रेतर, अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 प्रावधित करता है कि पांच लाख से कम जनसंख्या वाले स्थानीय प्राधिकरण उपयुक्त समूह के लिए सामूहिक क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर भूमि-भरण सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान करेंगे।

निदेशालय स्थानीय निकाय के वर्ष 2015-16 की प्रगति प्रतिवेदन की जांच में प्रकट हुआ कि राज्य की 188 शहरी स्थानीय निकायों में से, 151 शहरी स्थानीय निकायों में भूमि-भरण के लिए भूमि की पहचान की गई थी जबकि 37 शहरी स्थानीय निकायों में भूमि की पहचान नहीं की गई थी।

जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से पांच लाख से कम जनसंख्या वाली 12 शहरी स्थानीय निकायों[23] (55 प्रतिशत) ने भूमि-भरण स्थल की पहचान नहीं की थी। 10 चिन्हित भूमि-भरण स्थलों में से सात ने अपशिष्ट प्रसंस्करण/निस्तारण सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को आवेदन नही किया था।

यद्यपि, तीन शहरी स्थानीय निकायों (बारां, जयपुर एवं झालावाड़) में भूमि-भरण स्थलों के विकास पर ₹ 12.74 करोड़[24] व्यय किए गए थे परन्तु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा था। बारां एवं झालावाड़ में, प्रसंस्करण संयंत्र के अभाव में भूमि-भरण स्थलों को उपयोग में नहीं लाया जा सका था। जबकि जयपुर में यद्यपि, प्रसंस्करण संयंत्र एवं भूमि-भरण स्थल दोनों की स्थापना की गई थी पर भूमि-भरण स्थल का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, सभी जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट खुले मैदान पर डाला जा रहा था क्योंकि या तो भूमि-भरण स्थल का विकास (19 शहरी स्थानीय निकायों में) नहीं किया गया था या भूमि-भरण स्थल क्रियाशील (तीन शहरी स्थानीय निकायों में) नहीं थे।

---

23. अन्ता, देशनोक, फतेहनगर, जैतारण, नदबई, नगर, नोखा, सलूम्बर, सांभर, सोजतसिटी, सुमेरपुर और विराटनगर।
24. नगर परिषद, बारां : ₹ 1.13 करोड़, नगर निगम, जयपुर : ₹ 10.93 करोड़, नगर परिषद, झालावाड़ : ₹ 0.68 करोड़।

जांच की गई 43 ग्राम पंचायतों ने भूमि-भरण स्थल विकसित नहीं किए थे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अवगत (फरवरी 2017) कराया कि अब तक इस संबंध में कोई नियम/नीति तैयार नहीं की गई है।

(ब) नगर निगम, बीकानेर मे भूमि-भरण स्थल का विकास

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के अनुसार, भूमि-भरण स्थल सहित अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधाओं की स्थापना राजमार्ग और बस्तियों से 200 मीटर एवं हवाई अड्डा/एयर-बेस से 20 किलोमीटर दूर की जानी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में अगर दूरी 20 किलोमीटर से कम है तो नागरिक विमानन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अनुज्ञप्ति प्राप्त की जानी थी।

जिला कलेक्टर ने नगर निगम, बीकानेर को गोगा गेट पर भूमि-भरण स्थल के विकास के लिए भूमि आवंटित (2002) की थी। आवंटित भू-आवासीय क्षेत्रों से घिरी हुई थी और हवाई अड्डा/एयर-बेस से मात्र 16.8 किलोमीटर दूर थी। यद्यपि, नगर निगम ने उस भूमि पर भूमि-भरण स्थल विकसित करने के लिए अनुबंध निष्पादित (मार्च 2017) करने से पूर्व ना तो नागरिक विमानन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया और ना ही राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अनुज्ञप्ति प्राप्त की एवं भूमि के समतलीकरण पर ₹ 25.08 लाख व्यय कर दिए। ध्यान मे लाए जाने पर, नगर निगम ने अवगत (मई 2017) कराया कि जिला कलेक्टर ने वर्ष 2002 में भूमि आवंटित की थी और उस समय बस्तियां चिन्हित भराव क्षेत्र के पास नहीं थी। फर्म द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना प्रक्रियाधीन है।

(स) खुले भराव क्षेत्रों का अनुश्रवण

जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 शहरी स्थानीय निकायों[25] एवं 43 ग्राम पंचायतों की खुले भराव क्षेत्रों को बन्द करने की कोई योजना नहीं थी। यद्यपि शेष 11 जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों ने अपनी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (2015 एवं 2016) में खुले भराव क्षेत्रों को बन्द करने की योजना बनाई थी, परन्तु योजना कार्यान्वित नही हो सकी थी और अपशिष्ट अभी भी खुले क्षेत्रों में ही डाला जा रहा था।

अग्रेतर, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से छः शहरी स्थानीय निकायों[26] में अपशिष्ट खुले में जलाया जा रहा था।

---

25. देशनोक, फतेहनगर, जैतारण, करौली, नदबई, नगर, नोखा, सलूम्बर, सांभर, टोडाभीम और विराटनगर।
26. भवानी मंडी, बीकानेर, जयपुर, झालावाड़, पिड़ावा एवं सुमेरपुर।

अत: खुले भराव क्षेत्रों का अनुश्रवण करने की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वो पर्यावरण को प्रदूषित ना करें और आस-पास के क्षेत्रों में व्याधियां प्रसारित ना हों।

(द) भू-जल के नमूने का परीक्षण प्रतिवेदन

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 की अनुसुची-III (24) के अनुसार, भूमि-भरण स्थल में या इसके आस-पास भू-जल का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए करने पर इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपरांत ही विचार करना चाहिए।

यह पाया गया कि वर्ष 2012-17 के दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने खुले भराव क्षेत्र के पास भू-जल, परिवेशी वायु एवं लिचेट की गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिए कोई परीक्षण नही किया था।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण (16 मई 2017) के दौरान जयपुर में दो खुले भराव क्षेत्रों यथा सेवापुरा एवं मथुरादास के पास के जल-स्त्रोतो से भू-जल के नमूनों को लेखापरीक्षा द्वारा एकत्रित किया गया और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर की केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा उनकी जांच करवाई गई। जांच परिणाम निम्न **तालिका 4.3** मे दर्शाए गए हैं :

तालिका 4.3

(मिलीग्राम/लीटर में)

मानदंड	निर्धारित मानक	सेवापुरा स्थल के जल की जांच		मथुरादासपुरा स्थल के जल की जांच	
		जांच परिणाम	अधिक (+)/कमी (-) मानदंड के विपरीत	जांच परिणाम	अधिक (+)/कमी (-) मानदंड के विपरीत
कैलशियम कार्बोनेट	300	380	(+) 80	232	(-) 68
कुल घुले पदार्थ (टीडीएस)	500	841	(+) 341	1125	(+) 625
नाइट्रेट	45	67	(+) 22	9	(-) 36

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यह भराव क्षेत्र भू-जल को दूषित कर रहे थे विशेष तौर पर भराव क्षेत्र के निकट क्षेत्रों मे भू-जल में कुल घुले हुए ठोस पदार्थ काफी अधिक थे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई 2017) किया।

(viii) अन्य निष्कर्ष

(अ) अनुबंध लागू ना होना

भारत सरकार की शहरी कम्पोस्ट को प्रोत्साहित करने की एक नीति (जनवरी 2016) है, जिसमें उर्वरक विपणन कम्पनियों को ₹ 1,500 प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता का भुगतान किया जाना है, जो उन संबंधित शहरों में निर्मित सम्पूर्ण कम्पोस्ट खरीदने के लिए बाध्य होंगे जिनके लिए उन्हें चिन्हित किया

गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि एक त्रि-पक्षीय अनुबंध नगर निगम, जयपुर, मैसर्स आई.एल. एण्ड एफ.एस. लिमिटेड एवं मैसर्स चम्बल फर्टीलाईजर्स लिमिटेड के मध्य जयपुर शहर के कम्पोस्ट को उठाने के लिए हुआ था। यद्यपि, मैसर्स चम्बल फर्टीलाईजर्स लिमिटेड ने कम्पोस्ट संयंत्र से उत्पन्न कम्पोस्ट नहीं उठाया था। इसके परिणामस्वरुप सेवापुरा प्रसंस्करण संयंत्र में काफी कम्पोस्ट जमा हो गया था जिसके कारण संयंत्र को मजबूरन फरवरी 2017 में बंद करना पड़ा।

इस प्रकार भारत सरकार की नीति लागू ना करने के परिणामस्वरुप प्रसंस्करण ईकाई बंद हुई एवं काफी मात्रा में अप्रसंस्कृत अपशिष्ट पड़ा रहा। नगर निगम, जयपुर ने मैसर्स चम्बल फर्टीलाईजर्स लिमिटेड के कम्पोस्ट उठाए जाने की विफलता पर प्रत्युत्तर नहीं दिया।

(ब) ₹ 33.02 लाख की वसूली का अभाव

नगर निगम जयपुर एवं फर्म 'अ' के बीच चार संभागो (सिविल लाईन, सांगानेर, मानसरोवर एवं विद्याधर नगर) से अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण, एवं निस्तारण के लिए BOOT आधार पर एक अनुबंध (अक्टूबर 2008) हुआ और 10 वर्ष की अवधि के लिए कार्यादेश (जनवरी 2011) जारी किया गया था। अग्रेतर अनुबंध के अनुसार, नगर निगम, जयपुर को राजस्व अंशदान ₹ 5.51 लाख एवं अनुज्ञा शुल्क ₹ एक लाख प्रतिवर्ष फर्म से प्राप्त करने थे और उसमे प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि होनी थी। प्रसंस्करण संयंत्र के लिए आवंटित भूमि की लीज राशि ₹ 8,093 प्रतिवर्ष भी फर्म 'अ' से वसूल की जानी थी। यह पाया गया कि अवधि 2014-15 से 2016-17 के लिए राजस्व अंशदान, अनुज्ञा शुल्क, लीज राशि ₹ 33.02 लाख[27] फर्म से वसूल नहीं किए गए थे।

4.1.6.9 प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन एवं हथालन

प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन एवं हथालन से संबंधित नियमों के अनुपालन एवं अनुश्रवण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल उत्तरदायी था और शहरी स्थानीय निकाय इनके संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन एवं निस्तारण के लिए उत्तरदायी थे।

(i) दुकानदारों/ठेलेवालों का पंजीकरण

प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 का नियम 14(1) प्रावधित करता है कि कोई भी वस्तु प्लास्टिक के थैले में देने के इच्छुक दुकानदार एवं ठेलेवाले को स्थानीय निकाय से पंजीकरण करवाना होगा।

---

27. राजस्व अंशदान : ₹ 29.10 लाख + अनुज्ञा शुल्क : ₹ 3.76 लाख + लीज राशि : ₹ 0.16 लाख (अनुज्ञा शुल्क एवं लीज राशि की गणना 15 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि के आधार पर की गई है)।

जांच की गई सभी 22 शहरी स्थानीय निकायों मे पाया गया कि ना तो किसी दुकानदार/ठेलेवाले ने प्लास्टिक के थैले में सामान विक्रय हेतु पंजीकरण करवाया था और ना ही शहरी स्थानीय निकायों ने किसी दुकानदार/ठेलेवाले द्वारा ऐसे पंजीकरण को सुनिश्चित किया था जबकि प्लास्टिक के थैलों का खुलेआम उपयोग कर रहे थे।

(ii) प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन एवं निस्तारण

प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 एवं 2011(i) के अनुसार (i) नगरीय प्राधिकरण प्लास्टिक के उपयोग के नियमन के लिए और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, क्रियान्वयन और समन्वय एवं उपभोक्ता के उपयोग पश्चात प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन एवं निस्तारण से संबंधित कार्यो को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है; (ii) प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण केन्द्रों की स्थापना के लिए, नगरपालिका प्राधिकरण वित्त सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत निर्माताओं से इस तरह के केन्द्रों की स्थापना के लिए सामूहिक या व्यक्तिगत रुप से पूछ सकते हैं (iii) प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में नहीं जलाया जाता है।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा ने यह पाया कि :

(अ) जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, हथालन, परिवहन एवं निस्तारण के लिए किसी प्रक्रिया की स्थापना या निर्देश जारी नही किए। इसलिए, अधिसूचना के छः वर्ष पश्चात भी अभी तक इन नियमों को लागू किया जाना शेष है।

(ब) जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में इस तरह के किसी भी संग्रहण केन्द्र की स्थापना ना तो निर्माताओं द्वारा ना ही संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की गई थी।

(स) जांच की गई सभी 22 शहरी स्थानीय निकायों एवं 43 ग्राम पंचायतों ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि प्लास्टिक अपशिष्ट खुले में जलाया नहीं गया। अग्रेतर, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि छः शहरी स्थानीय निकायों[28] (27 प्रतिशत) में प्लास्टिक अपशिष्ट सहित मिश्रित अपशिष्ट को खुले में जलाने की घटनाएं आम थी।

गोगा गेट, बीकानेर मे खुले में जलता अपशिष्ट

भवानी मंडी मे खुले में जलता अपशिष्ट

28. भवानीमंडी, बीकानेर, झालावाड, जयपुर, पिड़ावा एवं सुमेरपुर।

(iii) उपभोक्ता शुल्क का संग्रहण एवं शास्ति

प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के नियम 8(3) के अनुसार सभी अपशिष्ट उत्पादक उपभोक्ता शुल्क अथवा स्थानीय निकायों के उपनियमों में निर्धारित राशि का प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भुगतान करेंगे। तत्रैत नियम 15 के अनुसार कोई भी वस्तु प्लास्टिक के थैले में देने के इच्छुक उत्पादकों/दुकानदारों के पंजीकरण (स्थानीय निकायों से) के लिए कम से कम ₹ 4,000 का उपभोक्ता शुल्क निर्धारित है।

यह पाया गया कि जांच की गई सभी 22 शहरी स्थानीय निकायों एवं 43 ग्राम पंचायतों ने ना तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में उपभोक्ता प्रभार की शास्ति के लिए कोई उपनियम बनाए ना ही तत्रैत नियमों में निर्धारित ऐसे किसी उपभोक्ता प्रभार का संग्रहण किया।

(iv) सड़क निर्माण के लिए तकनीक का उपयोग

प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 का नियम 5(1)(ब) प्रावधित करता है कि स्थानीय निकायों को प्लास्टिक अपशिष्ट जो कि पुन:उपयोग मे नही लिए जा सकते उनका उपयोग भारतीय सड़क कांग्रेस दिशा-निर्देश के अनुसार सड़क निर्माण हेतु या उनसे ऊर्जा प्राप्ति या अपशिष्ट से तेल प्राप्ति इत्यादि प्रक्रिया में करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।

यह पाया गया कि जांच की गई किसी भी शहरी स्थानीय निकायों (जयपुर एवं उदयपुर को छोड़कर) एवं 43 ग्राम पंचायतों में इस संबंध में कोई कार्यवाही आरंभ नही की थी।

(v) नगर निगम, जयपुर में प्लास्टिक अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2014-15 की अवधि के दौरान जयपुर शहर में प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक प्रायोगिक परियोजना प्रारम्भ करने का निर्णय (सितम्बर 2014) किया था। इस परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए नगर निगम, जयपुर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं गैर-सरकारी संगठन के मध्य एक त्रि-पक्षीय समझौता किया जाना था और नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं नगर निगम, जयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त करना था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अप्रैल 2017 तक ना तो परियोजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई थी और ना ही प्रायोगिक परियोजना को लागू करने के लिए कोई नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। अत: प्लास्टिक अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन जैसा की परिकल्पित था, आरंभ नही हो पाया।

4.1.6.10 ई–अपशिष्ट का प्रबंधन एवं हथालन

(i) निर्माताओं, भंजकों, रिफरबीशर्स, एवं पुन:उपयोगकर्ताओं को अधिकृत/पंजीकरण

ई–अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2011 का नियम 9(2) एवं 11 एवं ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 यह प्रावधित करते हैं कि विद्युत एवं विद्युतीय उपकरणों के निर्माता, संग्रहण केन्द्र, विघटनकर्ता एवं पुन:उपयोगकर्ता इन नियमों के लागू होने की दिनांक से तीन माह की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे। अग्रेतर आवेदन की प्राप्ति पर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल संतुष्ट होने के बाद कि आवेदक के पास ई–अपशिष्ट के हथालन के लिए उचित सुविधाएं, तकनीकी क्षमता एवं उपकरण हैं, 90 दिवसों के अन्दर अधिकृत/पंजीकरण जारी करेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 44 फर्मो ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को ई–अपशिष्ट के विघटन एवं प्रसंस्करण के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन किया था जिसमें से 43 फर्मो को पंजीकरण स्वीकृत कर दिया गया था। इन 43 फर्मो में से पांच फर्मो का पंजीकरण सितंबर 2014 से मार्च 2017 के दौरान समाप्त हो गया था, परन्तु इन फर्मो ने अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करवाया। इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अवगत कराया कि राज्य में किसी भी फर्म ने ई–अपशिष्ट के पुन:उपयोग के लिए पंजीकरण नही करवाया था। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से उन फर्मो के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी (फरवरी 2018) चाही गई थी, जिन्होने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन नही किया था, प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।

(ii) विशेष संभागो/क्षेत्रो का निर्धारण जहां ई–अपशिष्ट को संग्रहित/निस्तारित किया जा सके

ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 का नियम 12(1) यह प्रावधित करता है कि राजस्थान सरकार से इस संबंध में प्राधिकृत राज्य या अन्य कोई सरकारी अभिकरण को मौजूदा एवं आने वाले औद्योगिक उद्यान, भू-सम्पत्ति और औद्योगिक समूहों में ई–अपशिष्ट को विघटित करने एवं पुन:उपयोग करने के लिए औद्योगिक स्थान की व्यवस्था या आवंटन सुनिश्चित करना था। यद्यपि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ई–अपशिष्ट के लिए निर्धारित स्थान सुनिश्चित नहीं किया था।

(iii) ई–अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन एवं निस्तारण से संबंधित नियमों का प्रवर्तन

(अ) ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के नियम 23 एवं 24 के अनुसार ई–अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, परिवहन, पृथक्करण, रिफरबिशमेंट, विघटन, पुन:चक्रण एवं निस्तारण दिशा–निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार होगा और

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लावारिस उत्पादों से संबंधित ई-अपशिष्ट संग्रहित किया जाता है और अधिकृत भंजक या पुनःउपयोगकर्ता को दिया जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया गया कि :

जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों ने ना तो ई-अपशिष्ट के संग्रहण/ पृथक्करण को सुनिश्चित किया एवं ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित पाया गया और ना ही लावारिस उत्पादों को उनके अधिकृत संग्रहण केन्द्रों तक पंहुचाया। इसके परिणामस्वरुप ई-अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित हो रहा था।

(ब) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 यह प्रावधित करता है कि निर्माताओं द्वारा एक विशिष्ट श्रेणी संकेतक के विद्युत एवं विद्युतीय उपकरणों के लिए उत्पन्न ई-अपशिष्ट, पिछले वर्षो में बाजार मे रखी गई विद्युत एवं विद्युतीय उपकरणों की मात्रा (संख्या या भार) के आधार पर अनुमानित की जानी चाहिए और उपकरण के औसत जीवन को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए ई-अपशिष्ट के संग्रहण का लक्ष्य अनुमानित उत्पन्न ई-अपशिष्ट का क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत होगा। लेखापरीक्षा मे पाया गया कि :

राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान ई-अपशिष्ट के उत्पादन का अनुमान एवं आने वाले वर्षो में ई-अपशिष्ट के संग्रहण का लक्ष्य राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में सत्यापित नहीं किया जा सका था, क्योंकि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने लेखापरीक्षा को आंकड़ें/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए थे। इसके अतिरिक्त, मैसर्स सिक्योर मीटर्स का राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, उदयपुर के क्षेत्रीय कार्यालय के कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के साथ आयोजित संयुक्त निरीक्षण (जून 2017) में प्रकट हुआ कि फर्म ने वर्ष 2016-17 के लिए ई-अपशिष्ट के उत्पादन एवं संग्रहण का अनुमान नहीं लगाया था।

ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट का प्रबंधन एवं हथालन

ठोस अपशिष्ट : शहरी क्षेत्रों में, वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के 55.41 प्रतिशत वार्डो में घर-घर से नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण नहीं किया गया था। जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण भी प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था। अग्रेतर, जांच की गई सभी ग्राम पंचायतों में भंडारण सुविधाएं भी नहीं पाई गई थी। जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 में अपशिष्ट का परिवहन भी खुले वाहनों में किया जा रहा था।

अग्रेतर, जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण के बिना ही खुले मैदान पर डाला जा रहा था। भूमि-भरण स्थल का निर्माण भी 22 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र तीन में ही किया गया था, यद्यपि ये भूमि-भरण स्थल भी उपयोग नहीं किए जा रहे थे।

ग्रामीण क्षेत्रो में, जांच की गई 43 ग्राम पंचायतों में से मात्र तीन मे ही अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन खुले वाहनों में किया जा रहा था। सभी ग्राम पंचायतों में, अपृथक्कृत एवं अप्रसंस्कृत अपशिष्ट खुले मैदान पर डाला जा रहा था।

इस प्रकार, राज्य में, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन प्रचलित नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा था।

प्लास्टिक अपशिष्ट : जांच की गई किसी भी शहरी स्थानीय निकायों ने ना तो किसी दुकानदार/ठेलेवालो का पंजीकरण ग्राहक उत्पाद प्लास्टिक के थैलों मे विक्रय/उपलब्ध करवाने के लिए किया और ना ही प्रचलित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया। जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों एवं 43 ग्राम पंचायतों ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता शुल्क की वसूली के लिए कोई भी उपनियम नहीं बनाये। अग्रेतर, जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों ने प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, हथालन, भंडारण, परिवहन एवं निस्तारण के लिए किसी प्रक्रिया की स्थापना नहीं की थी। अतः प्लास्टिक के थैलों एवं अन्य प्लास्टिक उत्पादों का नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित होना जारी था।

ई-अपशिष्ट : जांच की गई किसी भी शहरी स्थानीय निकायों ने ई-अपशिष्ट का संग्रहण एवं पृथक्करण सुनिश्चित नही किया, जिसके परिणामस्वरुप ई-अपशिष्ट खुले मैदान पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित होकर डाला जा रहा था। इसके अतिरिक्त ना तो जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों ने और ना ही पंजीकृत विघटक फर्मो ने ई-अपशिष्ट का विघटन/पुनःचक्रण सुनिश्चित किया।

अनुशंसाएं :

6. सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को 100 प्रतिशत घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण, पर्याप्त भंडारण सुविधाओं/अपशिष्ट पात्रों का विकास सुनिश्चित करना चाहिए और अपशिष्ट उत्पादकों को स्त्रोत पर ही अपशिष्ट को उसके स्वरुप के अनुसार अलग अलग अपशिष्ट पात्रों में पृथक्करण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

7. सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को सम्पूर्ण अपशिष्ट का परिवहन ढके हुए वाहनो मे किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए एवं उसका निस्तारण उपयुक्त प्रसंस्करण पश्चात विकसित भूमि-भरण स्थल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

8. सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट के संग्रहण, हथालन, पृथक्करण, परिवहन एवं निस्तारण के लिए एक प्रक्रिया की स्थापना करनी चाहिए। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को भी इन नियमों का अनुपालन प्रभावी अनुश्रवण द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 4 : क्या अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु निधियां और बुनियादी ढांचा पर्याप्त था और क्या एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र अस्तित्व में था।

4.1.6.11 वित्त पोषण

कानूनों/नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, कार्यकारी अभिकरणों को उन्हें आवंटित उत्तरदायित्वों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक मानवीय और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस संबंध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

(i) निधियों की पर्याप्तता

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15(एक्स) के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत वार्षिक बजट में पूंजीगत निवेश के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट सेवाओं के संचालन और संधारण के लिए पर्याप्त निधियों का प्रावधान करेंगे।

जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में पाया गया कि 11 शहरी स्थानीय निकायों[29] (50 प्रतिशत) ने अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवश्यक निधियों का आंकलन भी नहीं किया जबकि शेष 11 शहरी स्थानीय निकायों ने मात्र 2015 और 2016 के लिए आवश्यक निधियों का आंकलन किया। अग्रेतर, शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए न तो गतिविधियों के अनुसार निधियों का आवंटन किया और न ही गतिविधियों के अनुसार व्यय विवरणों का संधारण किया।

(ii) अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधियां

स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अन्य गतिविधियों सहित आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए तैरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि के अन्तर्गत निधियां आवंटित की गई थी। जांच की गई स्थानीय निकायों (शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर स्वीकृत निधियों और किए गए व्यय की स्थिति का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि इन निकायों के बजट/लेखों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अलग से निधियां निर्धारित नहीं की गई थी, सिवाय स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत मात्र दो वर्षो अर्थात 2015-17 के लिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में घर-घर से नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और ऊर्जा संयंत्र सम्मिलित है।

---

29. देशनोक, फतहनगर, जैतारण, करौली, नगर, नदबई, नोखा, सलूम्बर, साम्भर, टोडाभीम और विराटनगर।

राज्य स्तर पर एवं जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों के प्रकरणों में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2015-17 के दौरान आवंटित निधियां, किए गए व्यय और लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विवरण निम्न **तालिका 4.4** में दिया गया है:

तालिका 4.4

(₹ करोड़ में)

गतिविधि का नाम	स्वीकृत निधियां	किए गए व्यय	अव्ययित निधियां (स्वीकृत निधियों की प्रतिशतता)	लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र (किए गए व्यय की प्रतिशतता)
राज्य स्तर पर				
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन*	283.55	57.65	225.90 (79.67%)	46.09 (79.95%)
सूचना, शिक्षा और संचार	7.44	1.83	5.61 (75.40%)	1.33 (72.68%)
कार्यालय व्यय	1.82	1.09	0.73 (40.11%)	0.86 (78.90%)
योग	**292.81**	**60.57**	**232.24 (79.31%)**	**48.28 (79.71%)**
नमूना जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकाय[30]				
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन*	87.52	6.27	81.25 (92.84%)	5.15 (82.14%)
सूचना, शिक्षा और संचार	2.22	0.22	2.00 (90.09%)	0.07 (31.82%)
कार्यालय व्यय	0.54	0.07	0.47 (87.04%)	0.07 (100%)
योग	**90.28**	**6.56**	**83.72 (92.73%)**	**5.29 (80.64%)**

** नगरीय ठोस अपशिष्ट का घर-घर से संग्रहण, पृथक्करण और परिवहन एवं अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र इत्यादि के लिए।*

स्रोत : निदेशक स्थानीय निकाय और नमूना जांची गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों सहित राज्य स्तर पर 2015-17 के दौरान निधियों का उपयोग बहुत कम था, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, सूचना शिक्षा संचार और कार्यालय व्यय के लिए आवंटित ₹ 292.81 करोड़ में से मात्र ₹ 60.57 करोड़ व्यय किए गए जिससे ₹ 232.24 करोड़ (79.31 प्रतिशत) का वृह्द अव्ययित अवशेष रहा। इसी तरह, जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों की आवंटित ₹ 90.28 करोड़ में से वाहनों के क्रय, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत घर-घर से संग्रहण हेतु श्रमिकों को भुगतान, सूचना शिक्षा संचार और कार्यालय व्यय आदि पर मात्र ₹ 6.56 करोड़ (7.27 प्रतिशत) व्यय किए गए और स्वीकृत निधियों का ₹ 83.72 करोड़ (92.73 प्रतिशत) वृह्द अव्ययित अवशेष रहा।

इसके अलावा, राज्य स्तर पर ₹ 48.28 करोड़ (79.71 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र समायोजन हेतु लम्बित थे, इसी तरह, जांच की गई शहरी स्थानीय

30. पंचायती राज संस्थाओं के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को स्वच्छ भारत मिशन कार्य के लिए समेकित निधि आवंटित की गई थी इसके साथ उनके विभाजन उपलब्ध नहीं थे।

निकायों में ₹ 5.29 करोड़ (80.64 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र समायोजन हेतु लम्बित थे।

इस अतिरिक्त, जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों के 50 प्रतिशत ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधियों की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया और यहां तक कि जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों के पास निधियां उपलब्ध होने के उपरान्त भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए 2015-17 के दौरान मात्र 7.27 प्रतिशत की सीमा तक उपयोग किया गया था। इससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कमियों की पहचान के प्रमुख उद्देश्य विफल रहे।

(iii) आधारभूत संरचना

अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और अनुश्रवण में कर्मचारियों की गुणवत्ता के साथ-साथ इनकी पर्याप्तता का प्रमुख महत्व है। इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

(अ) श्रम-शक्ति का आंकलन

वर्ष 2012-17 के दौरान, राज्य स्तर पर, ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज विभाग और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन और अनुश्रवण हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया। यह भी पाया गया कि जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में श्रम-शक्ति की वर्तमान स्वीकृत संख्या/कार्यरत के आधार पर 33.35 प्रतिशत (8.11 प्रतिशत से 77.78 प्रतिशत तक) तक कम पाई गई थी। अग्रेतर, जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 शहरी स्थानीय निकायों[31] ने अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रम-शक्ति का आंकलन नहीं किया गया था।

(ब) संयंत्र, उपकरण एवं अन्य आधारभूत ढांचे का आंकलन

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पंचायती राज विभाग/ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट के क्रियान्वयन हेतु संयंत्र, उपकरण और अन्य आधारभूत ढांचे की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया।

यह भी पाया गया कि जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 शहरी स्थानीय निकायों[32] और सभी 43 ग्राम पंचायतों ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संयंत्र, उपकरण और अन्य आधारभूत ढांचे की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया।

31. देशनोक, फतहनगर, जैतारण, करौली, नगर, नदबई, नोखा, सलूम्बर, सांभर, टोडाभीम और विराटनगर।
32. देशनोक, फतहनगर, जैतारण, करौली, नगर, नदबई, नोखा, सलूम्बर, सांभर, टोडाभीम और विराटनगर।

(स) क्षमता निर्माण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11(के) और स्वच्छ भारत मिशन दिशा-निर्देश, 2014 के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण के लिए प्रासंगिक प्राधिकारियों (वरिष्ठ स्तर के प्राधिकारियों और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ता दोनों) की पहचान करनी चाहिए और उनके लिए प्रशिक्षण का कैलेंडर तैयार करना चाहिए।

यह पाया गया कि क्षमता निर्माण गतिविधियों का क्रियान्वयन न तो राज्य स्तर पर और न ही जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों पर किया गया था।

(iv) आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण

(अ) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55(3) के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका एक स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति का गठन करेगी जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित प्रकरणों की निगरानी करेगी। अग्रेतर, धारा 58(1) तत्रैत के अनुसार स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति की बैठकें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दो माह के भीतर आयोजित की जाएंगी।

यह पाया गया कि, जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 10 शहरी स्थानीय निकायों[33] ने स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति का गठन नहीं किया था। यद्यपि 12 शहरी स्थानीय निकायों में स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति का गठन किया था, वर्ष 2012-17 के दौरान निर्धारित 30 बैठकों के विरूद्ध छः शहरी स्थानीय निकायों में एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई, जबकि छः शहरी स्थानीय निकायों[34] द्वारा मात्र एक से 13 बैठकें आयोजित की गई थी।।

(ब) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 की धारा 2.3.3.1 और नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2000 की धारा 19.6.1 के अनुसार, अपशिष्ट प्रबंधन का नियमित अनुश्रवण स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 शहरी स्थानीय निकायों[35] में स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों ने कोई निरीक्षण नहीं किया। संबंधित शहरी स्थानीय निकायों ने स्वच्छता निरीक्षकों और

---

33. अन्ता, भवानीमण्डी, देशनोक, फतहनगर, मांगरोल, पिड़ावा, सलूम्बर, साम्भर, टोडाभीम और विराटनगर।
34. बारां (13 बैठकें), जयपुर (चार बैठकें), झालावाड़ (पांच बैठकें), पाली (एक बैठक), सोजतसिटी (दो बैठकें) और सुमेरपुर (नौ बैठकें)।
35. बारां, भवानी मण्डी, फतेहनगर, झालावाड़, करौली, मांगरोल, पिड़ावा, सलूम्बर, साम्भर, टोडाभीम और विराटनगर।

स्वास्थ्य अधिकारियों की अपर्याप्तता के कारण इस तरह के निरीक्षण नहीं किया जाना बताया।

इस प्रकार, 73 प्रतिशत जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित प्रकरणों पर निगरानी हेतु स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति का या तो गठन नहीं किया या कोई बैठक आयोजित नहीं की। अग्रेतर, स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षण में कमियां थी।

(स) वार्षिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 के नियम 4(4) एवं 8 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 के नियम 12 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 18 के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। तद्पश्चात इस प्रतिवेदन को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

यह पाया गया कि जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों और 43 ग्राम पंचायतों में से किसी ने भी वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारियों और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किए।

अग्रेतर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी नगरीय ठोस अपशिष्ट के लिए चार वर्षो (2012-13, 2014-15 से 2016-17), ई-अपशिष्ट के लिए तीन वर्षो (2014-15 से 2016-17) और प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए पांच वर्षो (2012-13 से 2016-17) से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किए।

(द) राज्य स्तरीय परामर्श समिति

प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 का नियम 11 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का नियम 23 के अनुसार, तत्रैत नियमों के क्रियान्वयन पर अनुश्रवण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय परामर्श समिति का गठन किया जाना था। राज्य स्तरीय परामर्श समिति की बैठक 2016 तक वर्ष में एक बार और उसके पश्चात वर्ष में दो बार आयोजित की जानी थी।

राजस्थान सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु एक राज्य स्तरीय परामर्श समिति गठित की (फरवरी 2013) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय परामर्श समिति का गठन जनवरी 2018 तक विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के प्रावधानुसार, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 के अनुपालन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की थी। जो कोई इस अधिनियम/नियमों के किसी भी प्रावधान या उसके अधीन बनाये गए आदेशों या निर्देशों का उल्लंघन करेगा या अनुपालन करने में विफल रहेगा, ऐसी अवधि के लिए कारावास जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना जो ₹ एक लाख तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

इस संबंध में, अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी संबंधित प्राधिकारियों को प्रति वर्ष 30 जून या उससे पूर्व वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने हेतु निर्देश जारी (अगस्त 2011 एवं जनवरी 2015) किए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। अग्रेतर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत न किए जाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के विरूद्ध कोई दण्डनीय कार्यवाही नहीं की।

(य) कम करने, पुनःउपयोग और पुनःचक्रण को प्रोत्साहन देने के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां

अपशिष्ट के 'कम करने, पुनःउपयोग और पुनः चक्रण' के लाभों के बारे में उपभोक्ताओं के साथ-साथ आम जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता होती है, जिससे पुनःचक्रण और कम करने की कूट-नीतियों हेतु महत्वपूर्ण सार्वजनिक समर्थन प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन दिशा-निर्देश, 2014 के अनुसार, कुल केन्द्रीय आवंटन का 15 प्रतिशत 'सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों' हेतु निर्धारित किया जाएगा।

यह पाया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 2014 से राज्य के मात्र शहरी क्षेत्रों के लिए अपशिष्ट को 'कम करने, पुनःउपयोग और पुनःचक्रण' के प्रोत्साहन हेतु सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के लिए कार्य योजना बनाई गई थी। तथापि, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई थी। अग्रेतर, जांच कि गई 17 शहरी स्थानीय निकायों ने 2015-17 के दौरान, सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों अर्थात विज्ञापन, बैनर, प्रचार-पुस्तिका आदि के लिए स्वीकृत राशि ₹ 2.22 करोड़ मे से मात्र ₹ 0.22 करोड़ (9.91 प्रतिशत) व्यय किए। शेष पांच शहरी स्थानीय निकायों[36] और 43 जिला ग्राम पंचायतों ने सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए पहल नहीं की थी।

---

36. करौली, नदबई, सलूम्बर, सोजत सिटी और सुमेरपुर।

इस प्रकार, सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियां निवासियों के बीच जागरूकता फैलाने में सक्षम नहीं थी।

(र) अपशिष्ट चुनने वालों/संग्राहकों की कार्यकारी परिस्थितियों पर प्रभाव का मूल्यांकन

यह पाया गया कि यद्यपि सभी 22 शहरी स्थानीय निकायों और तीन ग्राम पंचायतों[37] में अपशिष्ट का हस्त-चलित संचालन किया जा रहा था, 13 शहरी स्थानीय निकायों और सभी 43 ग्राम पंचायतों द्वारा सावधानी या सुरक्षा उपाय (दस्ताने, गम, जूते, मुखौटा इत्यादि) नहीं किए गए थे। शेष नौ शहरी स्थानीय निकायों में, उठाये गए सावधानी/सुरक्षा के उपाय अपर्याप्त पाए गए थे। न तो राजस्थान सरकार ने और न ही किसी भी जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों ने अपशिष्ट चुनने वालों/संग्राहकों के कार्यकारी परिस्थितियों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया।

<u>वित्त पोषण, आधारभूत संरचना और अनुश्रवण तंत्र</u>

यद्यपि जांच की गई 50 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों ने निधियों की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया था, 2015-17 के दौरान निधियों का उपयोग कम था, चूंकि स्वच्छ भारत मिशन के लिए राज्य स्तर पर आवंटित ₹ 292.81 करोड़ में से मात्र ₹ 60.57 करोड़ व्यय किए गए जिससे ₹ 232.24 करोड़ (79.31 प्रतिशत) का वृह्द अव्ययित अवशेष रहा।

राजस्थान सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और इसके वित्तीय प्रभावों के लिए श्रम-शक्ति, संयंत्र वाहनों और अन्य आधारभूत ढांचे की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत श्रम-शक्ति के संबंध में वर्तमान में कार्यरत श्रम शक्ति 33.35 प्रतिशत कम पाई गई थी।

वर्ष 2012-17 के दौरान, 73 प्रतिशत जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित मामलों पर निगरानी हेतु स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति का या तो गठन नहीं किया और न कोई बैठक आयोजित की गई। कर्मचारियों की अत्याधिक अपर्याप्तता के कारण, स्वच्छता निरीक्षकों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कम किए गए। इसके अतिरिक्त, जांच की गई किसी भी शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट प्रबंधन पर 2012-17 के दौरान वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को प्रेषित नही किए।

---

37. मनोहरपुर (पंचायत समिति शाहपुरा, जिला जयपुर), मालनवास और सुमेर (पंचायत समिति खानपुर, जिला झालावाड़)।

अनुशंसाएं :

9. निधियों को सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, राजस्थान सरकार और शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गतिविधि-वार निधियों को आवंटित कर सकते हैं।

10. राज्य और शहरी स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन के विकास हेतु श्रम-शक्ति, संयंत्र, वाहनों और अन्य आधारभूत ढांचे की आवश्यकता और इसके वित्तीय प्रभावों का मूल्यांकन शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए।

11. शहरी स्थानीय निकाय स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन कर, इनकी निर्धारित संख्या में बैठकें आयोजित कर और आवश्यक संख्या में स्वच्छता निरीक्षकों/स्वास्थ्य प्राधिकारियों की नियुक्ति कर अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ कर सकते हैं।

4.1.7 निष्कर्ष

उत्पन्न अपशिष्ट का आंकलन, भविष्य में उत्पन्न होने वाले संभावित अपशिष्ट, श्रम-शक्ति और वाहनों की आवश्यकता एवं अपशिष्ट से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न जोखिम का आंकलन राज्य स्तर पर साथ ही साथ जांच की गई 50 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों और सभी जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर नहीं किया गया था।

यद्यपि पर्याप्त अधिनियम, नियम एवं नीतियां उपलब्ध थी, अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों और सभी ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट को 'कम करने, पुनःउपयोग और पुनः चक्रण' के लिए कोई प्रभावी कूट-नीतियां/योजनाएं नहीं थी। इस प्रकार, अपशिष्ट के 'कम उपयोग, पुनःउपयोग और पुनः चक्रण' के स्थान पर अधिकांश प्रयास निस्तारण रणनीति हेतु निर्देशित किए गए थे। जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र दो शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट चुनने वालों की पहचान और पंजीकरण किए थे। अग्रेतर, शास्ति उद्ग्रहण के लिए उप-नियमों और नामांकित प्राधिकारियों की अनुपस्थिति में नमूना जांच की गई किसी भी ग्राम पंचायत के द्वारा अपशिष्ट नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति अधिरोपित की गई थी। राजस्थान सरकार ने ई-अपशिष्ट के क्रियान्वयन हेतु एकीकृत योजना तैयार नहीं की थी।

ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों/नियमों का अनुपालन कमजोर था, वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के 55.41 प्रतिशत शहरी वार्डो में घर-घर से नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण नहीं किया गया था। जांच की गई सभी शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट का

न तो पृथक्करण और न ही प्रसंस्करण किया जा रहा था और नगरीय ठोस अपशिष्ट खुली भूमि पर डाला जा रहा था। अग्रेतर, 22 में से मात्र तीन शहरी स्थानीय निकायों में भूमि-भरण स्थल निर्मित किये गए थे। तथापि इन भूमि-भरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में, जांच की गई 43 में से तीन ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट एकत्रित एवं पृथक्करण किया जा रहा था और बिना प्रसंस्करण किये नगरीय ठोस अपशिष्ट खुली भूमि पर डाला जा रहा था।

नमूना जांच की गई किसी भी शहरी स्थानीय निकायों ने प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, संचालन, भण्डारण, परिवहन और निपटान के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया था। इसलिए प्लास्टिक बैग और अन्य प्लास्टिक वस्तुओं को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित किया जाना जारी रखा गया।

जांच की गई किसी भी शहरी स्थानीय निकायों ने ई-अपशिष्ट का संग्रहण और पृथक्करण सुनिश्चित नहीं किया, जिसे नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ खुली भूमि पर डाला जा रहा था। इसके अतिरिक्त, न तो जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों और न ही पंजीकृत निष्कासन फर्मो ने ई-अपशिष्ट को पुनःचक्रित किया जाना सुनिश्चित किया।

यद्यपि, 50 प्रतिशत जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधियों की आवश्यकता का आकलन किया, 2015-17 के दौरान निधियों का उपयोग कम था और राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत आवंटित निधियों का 79.31 प्रतिशत निधियां अप्रयुक्त पड़ी थी। राजस्थान सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए श्रम-शक्ति, संयंत्र, वाहनों और अन्य आधारभूत ढांचे की आवश्यकता का आकलन नहीं किया। इसके अतिरिक्त जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में वर्तमान कार्यरत श्रम-शक्ति स्वीकृत क्षमता की तुलना में 33.35 प्रतिशत तक कम थी।

क्षमता निर्माण गतिविधियों का क्रियान्वयन न तो राज्य स्तर पर और न ही जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों पर किया गया था। ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक अपशिष्ट/ई-अपशिष्ट नियमों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण शिथिल एवं अप्रभावी था।

अनुपालन लेखापरीक्षा

स्वायत्त शासन विभाग

4.2 कम वसूली

प्रीमियम, लीज किराए, रूपान्तरण एवं बाह्य विकास प्रभार की राशि ₹ 2.49 करोड़ की कम वसूली।

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 का नियम 7 प्रावधित करता है कि भू-उपयोग परिवर्तन का अनुमति आदेश भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन प्राप्ति की दिनांक से 45 दिवस में जारी किया जाएगा। तत्रैव नियम 9 एवं 11 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रीमियम तथा लीज किराया (नगरीय निर्धारण) की मांग-पत्र जारी करने के 90 दिवस के भीतर आवेदक द्वारा प्रीमियम तथा लीज किराया जमा करवाए जाने पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आवेदक को लीज-डीड जारी एवं भूमि आवंटन किया जाएगा। अग्रेतर, प्रीमियम एवं लीज किराया जमा कराने के लिए आवेदक को 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अतिरिक्त 90 दिन और दिए जा सकते है। यदि आवेदक मांग पत्र की प्राप्ति की दिनांक से छः माह समाप्ति के पश्चात भी उस राशि को जमा कराने में विफल रहता है तो अनुमति आदेश निरस्त माने जाएगें।

राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम, 1974 का नियम 7 (1) प्रावधित करता है कि नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) आवासीय प्रयोजन के प्रकरण में आरक्षित मूल्य का 2.50 प्रतिशत एवं वाणिज्यिक/अन्य प्रयोजन के प्रकरण में आरक्षित मूल्य का पांच प्रतिशत की दर से निर्धारित किया जाना था। यदि आंवटी नगरीय निर्धारण या लीज किराया एक मुश्त जमा कराना चाहता है, तो यह पूर्ण वार्षिक निर्धारण का आठ गुना होगा। 'आवासीय लागत' भूमि के आवासीय उपयोग के निर्धारित प्रीमियम के चार गुना के बराबर थी। स्वायत्त शासन विभाग ने परिपत्र (अप्रैल 2011) द्वारा स्पष्ट किया कि आवासीय भूमि का वाणिज्यक प्रयोजन हेतु रूपान्तरण पर, लीज किराया की गणना आवासीय आरक्षित मूल्य के पांच प्रतिशत प्रति वर्ष पर की जाएगी।

शहरी विकास, आवास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेशानुसार (मई 2011), 2001 की जनगणना के अनुसार एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए समूह आवास एवं राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अन्तर्गत विकसित अथवा निजी क्षेत्र में अन्य योजनाओं के विकास पर बाह्य विकास प्रभार ₹ 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से विकासकर्ता से वसूल किया जाना चाहिए।

नमूना जांच में प्रकट हुआ कि :

(अ) नगरपालिका मंडल, उनियारा (टोंक) में (अप्रैल 2016), कृषि भूमि का आवासीय उद्देश्यों हेतु भू-रूपान्तरण के पांच प्रकरणों में, नगरपालिका मंडल ने प्रचलित प्रावधानों के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु अनुमति एवं ले-आउट प्लान अनुमोदित किया। मांग जारी होने के तीन वर्ष पश्चात् भी, आवेदकों ने प्रीमियम, लीज किराया और बाह्य विकास प्रभार की कुल वसुली योग्य राशि ₹ 1.35 करोड़ के विरूद्ध मात्र आंशिक राशि (₹ 0.21 करोड़) जमा करवाई थी।

नगरपालिका मंडल ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90(ए) के अन्तर्गत ना तो आवेदकों की बेदखली की कार्यवाही की और ना ही बकाया ₹ 1.14 करोड़ की वसूली की (***परिशिष्ट- XV***)।

(ब) नगर परिषद, जालौर (मार्च 2016) एवं नगरपालिका मंडल, फतेहपुर शेखावटी (जनवरी 2017) में कृषि से आवासीय, वाणिज्यिक एवं ओद्योगिक उद्देश्यों के लिए भू-उपयोग परिवर्तन के 16 प्रकरणों में नगर परिषद, जालौर ने प्रीमियम और लीज किराया अधिसूचित दर के बजाए कम दर से गणना की। प्रीमियम और लीज किराए की वसूली योग्य राशि ₹ 99.81 लाख के विरूद्ध मात्र ₹ 64.70 लाख वसूल किए गए (***परिशिष्ट-XVI***)। अग्रेतर, नगर परिषद, फतेहपुर शेखावटी ने कृषि से आवासीय उद्देश्य के भू-उपयोग परिवर्तन के दो प्रकरणों में प्रीमियम की गणना कम दर पर की और वसूली योग्य राशि ₹ 19.70 लाख के विरूद्ध मात्र ₹ 3.12 लाख वसूली किए गए थे (***परिशिष्ट-XVII***)।

इस प्रकार, प्रीमियम और लीज किराए की कम वसूली के कारण, उपरोक्त स्थानीय निकाय ₹ 51.69 लाख (₹ 35.11 लाख + ₹ 16.58 लाख) के राजस्व से वंचित रहे।

(स) नगर परिषद, श्रीगंगानगर (जनवरी 2016) में, आवासीय क्षेत्र के 11 मालिकों/धारकों द्वारा आवासीय से वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया था। नगर परिषद ने रूपान्तरण प्रभार एवं लीज किराए के कमशः ₹ 50.80 लाख और ₹ 28.80 लाख के स्थान पर ₹ 25.91 लाख और ₹ 3.02 लाख वसूल किए। इस प्रकार, रूपान्तरण प्रभार एवं लीज किराए की कम दर (गणना आवासीय आरक्षित मूल्य के 40 प्रतिशत के आधार पर नहीं की गई थी) पर गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 50.67 लाख (***परिशिष्ट-XVIII***) की कम वसूली हुई।

(द) नगर परिषद, बांसवाडा (दिसम्बर 2016) के भू-उपयोग परिवर्तन के 10 प्रकरणों में नगर परिषद ने लीज किराया आवासीय आरक्षित दर के पांच प्रतिशत पर राशि रूपये ₹ 54.56 लाख के स्थान पर रूपान्तरण शुल्क के पांच प्रतिशत

पर राशि ₹ 21.82 लाख की गणना की। इस प्रकार ₹ 32.74 लाख की कम वसूली हुई (***परिशिष्ट- XIX***)।

प्रकरण राजस्थान सरकार को (जून और जुलाई 2017) संदर्भित किया गया, प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2018)।

4.3 सड़क कटाव प्रभार की वसूली का अभाव

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सड़क कटाव प्रभार ₹ 2.45 करोड़ की वसूली का अभाव।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 184 भारतीय तार अधिनियम, 1885 अथवा विद्युत अधिनियम, 2003 या इस धारा के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई अन्य विधियों के अधीन किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी सड़कों के सब-वे मार्ग में किसी सांविधिक या अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध करायी गयी विभिन्न लोक उपयोगिताओं, जिसमें विद्युत प्रदाय, टेलिफोन या अन्य संचार सुविधाएं, गैस-पाइप, जल-प्रदाय, जल-निकासी और सीवरेज आदि के विशिष्ट अधिकारों के संबंध में नगरपालिका द्वारा स्वीकृति प्रदान के लिए राज्य सरकार को अधिकार देती है। अग्रेतर, क्षति के कारण मरम्मत की लागत संबंधित विभाग/निकाय द्वारा वहन किया जाना था।

नगर परिषद, बाड़मेर (नवम्बर 2016) और बालोतरा (दिसम्बर 2016) के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बाड़मेर ने विभिन्न स्थानों पर 11 केवी लाइन और लो-टेन्शन क्रॉस-लिंक पॉलीथीन केबल लाइन बिछाने की अनुमति मांगी (जून 2014)। नगर परिषद ने सड़क कटाव हेतु ₹ 1.49 करोड़ का मांग पत्र जारी (मार्च 2015) किया तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने ₹ 0.51 करोड़ जमा कराए (मार्च 2015) और शेष राशि ₹ 0.98 करोड़ 45 दिवस के भीतर जमा करवाने का आश्वासन दिया (अप्रेल 2015) लेकिन यह नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, बालोतरा में 1997 से 2016 तक जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में पाईपलाइन बिछाई गई जिसके विरुद्ध सड़क कटाव हेतु राशि ₹ 1.47 करोड़ बकाया थी। इसके परिणामस्वरूप जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से ₹ 2.45 करोड़ (₹ 0.98 करोड़ + ₹ 1.47 करोड़) के सड़क कटाव प्रभार की वसूली का अभाव रहा।

प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित (मार्च 2017) किया गया; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2018)।

4.4 राजस्व की हानि

नगर निगम, अजमेर द्वारा साइनेज बोर्डो की स्थापना हेतु स्थलों का चयन नही किये जाने के परिणामस्वरुप ₹ 2.14 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

नगर निगम[38], अजमेर ने अजमेर शहर के सौंदर्यीकरण हेतु निर्मित परिचालन एवं स्थानान्तरण (बी.ओ.टी.) आधार पर नवीनतम तकनीकों के साथ गैन्ट्रीज, यूनिपोल, साइनेज बोर्ड, ट्रेफिक बूथ, सार्वजनिक मूत्रालय निर्मित करने का निर्णय लिया।

नगर निगम, अजमेर के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2016) में प्रकट हुआ कि साइनेज बोर्डो एवं यूनिपोलों की स्थापना हेतु बोली आमंत्रित (सितम्बर 2007) की गई। उच्चतम बोलीदाता फर्म 'अ' को आशय का पत्र (एलओआई) जारी (नवम्बर 2007) किया गया। नगरपालिका (क्रय एवं संविदा) नियम, 1974 एवं बी. ओ.टी के जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की शर्त सहित स्वायत्त शासन विभाग द्वारा साइनेज बोर्डो और यूनिपोलों को निर्मित करने का प्रस्ताव जनवरी 2008 में अनुमोदित किया गया। तदनुसार फर्म 'अ' से 30 साइनेज बोर्डो और 50 यूनिपोलों की स्थापना हेतु अनुबंध किया (मई 2008) गया। अनुबन्ध की नियम और शर्तो के अनुसार निर्माण की अवधि अनुबन्ध की तिथि से छः माह होगी, और छूट अवधि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से 15 वर्ष की होगी और नगर निगम, अजमेर द्वारा परिमाण सहित साइट-प्लान प्रस्तुत करने पर लिखित में कार्यादेश जारी करेगा। फर्म द्वारा नगर परिषद, अजमेर को प्रत्येक साइनेज बोर्ड और यूनिपोल के लिए क्रमशः ₹ 69,000 और ₹ 84,000 वार्षिक प्रीमियम का भुगतान चक्रवृद्धि आधार पर पांच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की शर्त सहित करना था। इसके अतिरिक्त, अनुबंध के धारा 4 के अनुसार, साइनेज बोर्डो और यूनिपोलों के निर्माण के लिए संवेदक को परिमाण सहित एक साइट-प्लान प्रस्तुत करना था, तदपश्चात् लिखित कार्यादेश जारी किया जाना था।

यूनिपोलों की स्थापना का कार्य मार्च 2017 तक पूर्ण हो गया था और फर्म द्वारा नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा था। तथापि, फर्म द्वारा अभी तक किसी भी साइनेज बोर्डो का निर्माण नहीं किया गया था क्योंकि नगर निगम, अजमेर द्वारा इसके लिए स्थल का चयन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, संवेदक ने कार्य आवंटन के समय से सितम्बर 2016 तक बार-बार स्थल चयन के लिए निवेदन किया, परन्तु नगर निगम ने अभी तक साइनेज बोर्डो हेतु स्थल चयन नहीं किया। इस प्रकार, मार्च 2017 तक नगर निगम, अजमेर द्वारा साइनेज बोर्डो

38. पूर्व में नगर परिषद, अजमेर नाम था।

की स्थापना हेतु स्थलों का चयन नही किये जाने के परिणामस्वरुप ₹ 2.14 करोड़[39] की राजस्व हानि हुई।

प्रकरण राज्य सरकार को मार्च 2017 में संदर्भित किया गया; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2018)।

4.5 बेहतरी प्रभार की कम वसूली/वसूली का अभाव

नगर निगम, बीकानेर एवं नगर परिषद, नागौर द्वारा भवनों के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान किए जाने पर आवेदकों से ₹ 1.98 करोड़ के बेहतरी प्रभार की कम वसूली/वसूली का अभाव।

राजस्थान भवन विनियम 2010 एवं 2013 विहित करते हैं कि आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों हेतु अनुमत्य फ्लोर एरिया अनुपात 1.33 एवं अधिकतम 2.25 तक होना चाहिए। यदि फ्लोर एरिया अनुपात 1.33 से अधिक होता है, तो अधिक फ्लोर एरिया अनुपात हेतु अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व बेहतरी प्रभार (नियम 8.2 व 8.3) निम्न दरों पर प्रभारित किया जाना चाहिए :

(अ) ***आवासीय भवन*** - क्षेत्र के फ्लोर एरिया अनुपात के अन्तर पर बेहतरी प्रभार ₹ 100 प्रति वर्ग फीट या आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, प्रभारित किया जाना चाहिए।

(ब) ***वाणिज्यिक भवन*** - क्षेत्र के फ्लोर एरिया अनुपात के अन्तर पर बेहतरी प्रभार ₹ 200 प्रति वर्ग फीट अथवा वाणिज्यिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, प्रभारित किया जाना चाहिए।

(स) ***आवासीय/वाणिज्यिक भवन*** - क्षेत्र के फ्लोर एरिया के अनुपात 2.25 से अधिक के अन्तर पर बेहतरी प्रभार आरक्षित दर का 30 प्रतिशत या ₹ 100 प्रति वर्ग फीट जो भी अधिक हो, प्रभारित किया जाना चाहिए।

नगर निगम, बीकानेर एवं नगर परिषद, नागौर के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2016) में प्रकट हुआ कि तीन आवेदकों ने दो आवासीय व एक वाणिज्यिक भवन के निर्माण हेतु आवेदन किया जिनका फ्लोर एरिया अनुपात 1.33 से अधिक था। नगर निगम, बीकानेर व नगर परिषद, नागौर ने राशि ₹ 1.98

39. दिसम्बर 2008 से मार्च 2009: ₹ 6.90 लाख (₹ 69,000 की दर से), 2009-10: ₹ 21.74 लाख (₹ 72,450 की दर से), 2010-11: ₹ 22.82 लाख (₹ 76,073 की दर से), 2011-12: ₹ 23.96 लाख (₹ 79,877 की दर से), 2012-13: ₹ 25.16 लाख (₹ 83,871 की दर से), 2013-14: ₹ 26.42 लाख (₹ 88,065 की दर से), 2014-15: ₹ 27.74 लाख (₹ 92,468 की दर से), 2015-16: ₹ 29.13 लाख (₹ 97,091 की दर से) और 2016-17: ₹ 30.58 लाख (₹ 1,01,946 की दर से) **योग : ₹ 214.45 लाख (₹ 2.14 करोड़)**।

करोड़ (***परिशिष्ट-XX***) का बेहतरी प्रभार आवेदकों से वसूल नहीं किया तथा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनुमति प्रदान की।

प्रकरण राज्य सरकार को मार्च 2017 में संदर्भित किया गया; प्रत्युत्तर प्रतिक्षित (जनवरी 2018) है।

4.6 निष्फल व्यय एवं राजस्व की हानि

नगर निगम, उदयपुर में विद्युत खंभों पर डिस्प्ले बोर्डो एवं युनिपोल/साइनेज पर संयुक्त ₹ 1.44 करोड़ का निष्फल व्यय एवं राजस्व की हानि।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और अवक्रमित झीलों की सुरक्षा एवं संरक्षण की संभावनाओं में सुधार हेतु राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत दिशा-निर्देश (मई 2008) जारी किए। झील के संरक्षण हेतु सार्वजनिक जागरूकता एवं सार्वजनिक सह-भागिता दिशा-निर्देशों में उल्लिखित गतिविधियों में से एक थी। झील संरक्षण हेतु जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अन्तर्गत, उदयपुर शहर का चयन किया गया और विभिन्न स्थानों पर यूनिपोल और साइनेज बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 105 (सी) (iii) नगरपालिका को उनके अधीन निहित विनियामक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञापन के लिए उपयोग की जाने वाली स्थलों की अनुज्ञप्ति हेतु शुल्क एवं शास्ति उद्गृहित करने का अधिकार देती है।

नगर निगम, उदयपुर के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि :

(अ) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत दो भागों में एक खुली निविदा आमंत्रित (अगस्त 2011) की गई अर्थात (i) विभिन्न स्थानों पर यूनिपोल/साइनेज बोर्डो की आपूर्ति, निर्माण, स्थापित, परीक्षण और प्रारम्भ करना और (ii) यूनिपोल/साइनेज बोर्डो पर एक तरफ संवेदक के लिए और दूसरी तरफ नगर निगम के लिए विज्ञापन अधिकार सहित अनुरक्षण, संचालन एवं हस्तान्तरण 10 वर्षो (मार्च 2016) के लिए करना।

भाग-प्रथम के लिए 33 यूनिपोलों/साइनेज बोर्डो/ट्राईविजन के निर्माण हेतु ₹ 23.52 लाख और भाग-द्वितीय के लिए ₹ 17.50 लाख प्रति वर्ष 10 वर्षो तक प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की संचयी वृद्धि की शर्त सहित फर्म 'अ' को कार्यदेश दिया गया (सितम्बर 2011)। भाग-प्रथम के कार्य की प्रारम्भ एवं पूर्णता की निर्धारित तिथि क्रमशः 8 अक्टूबर 2011 एवं 7 जनवरी 2012 थी। फर्म 'अ' ने ₹ 19.15 लाख के व्यय पश्चात् 31 यूनिपोल और साइनेज बोर्डो का निर्माण किया (जनवरी 2012)। चूंकि फर्म ने कार्य अपूर्ण छोड़ दिया, अनुबन्ध की शर्तो की अनुपालना में

नगर निगम को कार्य का पुनः आवंटन करना था। यद्यपि, कार्य के आवंटन के स्थान पर नगर निगम, उदयपुर ने अपूर्ण कार्य (जुलाई 2012) पर राशि ₹ 11.35 लाख का भुगतान किया और शेष राशि ₹ 7.80 लाख को रोक दिया क्योंकि संवेदक ने समय पूर्व कार्य छोड़ दिया था।

अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्मित किए गए यूनिपोलों और साइनेज बोर्डो का उपयोग जुलाई 2017 तक नहीं किया गया था जो की निम्न छायाचित्रों से स्पष्ट है:

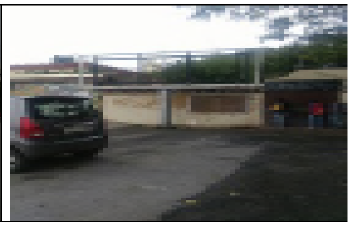

इस प्रकार, यूनिपालों/साइनेज बोर्डो के निर्माण पर किए गए ₹ 0.11 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

नगर निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2017) एवं अवगत कराया कि प्रतिभूति निक्षेप के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के ₹ 0.02 करोड़ समायोजित कर लिये जाएगें। प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि न तो झील संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त किया जा सका न ही नगर निगम विज्ञापनों के प्रदर्शन से राजस्व उत्पन्न कर सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.11 करोड़ का निष्फल व्यय और ₹ 1.07 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

इसके अतिरिक्त तथ्य यह है कि निर्मित किए गए यूनिपोलो/साइनेज बोर्डो के गैर-उपयोग के परिणामस्वरूप झील संरक्षण के प्रति सार्वजनिक जागरूकता प्राप्त नहीं की जा सकी, नगर निगम, उदयपुर विज्ञापन से प्रस्ताव में परिकल्पित ₹ 1.07 करोड़[40] का राजस्व अर्जित नहीं कर सका। नगर निगम ने तीन वर्षो से अधिक व्यतीत होने के पश्चात् भी कार्य को पुनः आवंटित करने का कोई प्रयास नहीं किया।

(ब) नगर निगम, उदयपुर ने विद्युत खंभों पर छोटे डिस्प्ले बोर्डो हेतु 1 नवम्बर 2013 से 30 अक्टूबर 2014 एवं 1 नवम्बर 2014 से 30 अक्टूबर 2015 अवधि के लिए क्रमशः ₹ 51 लाख एवं ₹ 56 लाख की अनुज्ञप्ति एक फर्म को दिया (नवम्बर 2013)।

फर्म ने पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि सहित ₹ 61.60 लाख के लिए उपरोक्त अनुबन्ध को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का प्रस्ताव

40. 2012-13: ₹ 0.18 करोड़, 2013-14: ₹ 0.19 करोड़, 2014-15: ₹ 0.21 करोड़, 2015-16: ₹ 0.23 करोड़ एवं 2016-17: ₹ 0.26 करोड़ (**योग : ₹ 1.07 करोड़**)।

(अक्टूबर 2015) रखा, जिसे नगर निगम द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और दिसम्बर 2015 में नवीन निविदा आमंत्रित की गई। अन्त में 1 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क ₹ 60.25 लाख का अनुबन्ध मई 2016 में उसी फर्म के साथ किया गया एवं जून 2016 में स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे ₹ 1.35 लाख (₹ 61.60 लाख - ₹ 60.25 लाख) की राजस्व हानि हुई (जनवरी 2017)।

यद्यपि अक्टूबर 2015 में पूर्व अनुबन्ध की अवधि समाप्त हो गई थी, नगर निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण, नवम्बर 2015 से मार्च 2016 तक कोई राजस्व प्राप्त नहीं किया जा सका। इस प्रकार, निविदा प्रक्रिया के अन्तिमिकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 26.45 लाख (₹ 25.10 लाख[41] + ₹ 1.35 लाख[42]) की राजस्व हानि हुई।

4.7 विवाह स्थलों से वार्षिक अनुमति/पंजीकरण शुल्क की वसूली कम/नहीं होना

स्वायत्त शासन विभाग के अनुमोदन के बिना वार्षिक अनुमति शुल्क को मनमाने ढंग से घटाए जाने एवं पंजीकरण शुल्क की वसूली के अभाव के परिणामस्वरूप विवाह स्थलों से ₹ 97.12 लाख की कम वसूली।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 340 प्रावधित करती है कि प्रत्येक नगरपालिका ऐसी उपविधियां तैयार कर सकती है जो अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों से असंगत न हो। राजस्थान सरकार ने 2010 में विवाह स्थलों के पंजीकरण के लिए मॉडल उपविधियां अधिनियमित की एवं सभी नगर निकायों को उनके क्षेत्राधिकार में कार्यान्वयन हेतु उपविधियों को अंगीकार/संशोधित किया जाना था। उपर्युक्त निर्देशों के अनुसरण में नगर परिषद, श्रीगंगानगर ने विवाह स्थलों के पंजीकरण हेतु अपनी उपविधियां अधिसूचित (दिसम्बर 2010) की। उपविधियों की धारा 10(ए) के अनुसार, पंजीकरण शुल्क ₹ 20,000 एवं विवाह स्थल के उपयोग हेतु वार्षिक अनुमति शुल्क 20 प्रति वर्ग गज अधिसूचित किए गए। यह भी प्रावधित किया गया कि यदि उपरोक्त निर्धारित प्रभारों को जमा नहीं कराया जाता है तो प्रथम तीन माह के लिए कुल देय राशि का 10 प्रतिशत शास्ति लगाई जायेगी और उसके पश्चात् ₹ 50 प्रतिदिन विलम्ब शुल्क (शास्ति) के रूप में वसूल किया जाएगा।

नगर परिषद, श्रीगंगानगर के अभिलेखों की जांच (जनवरी 2016) में प्रकट हुआ कि वर्ष 2010 से नगर परिषद क्षेत्र में 18 पंजीकृत विवाह स्थल वार्षिक अनुमति

41. पांच माह के लिए राजस्व हानि = ₹ 60.25 लाख/12 माह x पांच माह = ₹ 25.10 लाख।
42. ₹ 61.60 लाख (संवेदक द्वारा प्रस्तावित राशि) - ₹ 60.25 लाख (अन्तिम स्वीकृत राशि) = ₹ 1.35 लाख।

शुल्क जमा कराए बिना परिचालन में थे। इसके अतिरिक्त, इन विवाह स्थलों ने अप्रैल 2015 से पूर्व बकाया अपने पंजीकरण का नवीनीकरण भी आगामी पांच वर्षो के लिए नहीं कराया।

दिनांक 1 मार्च 2013 की बोर्ड की बैठक के निर्णयानुसार, नगर परिषद, श्री गंगानगर ने वार्षिक अनुमति शुल्क ₹ 20 प्रति वर्ग गज से घटाकर ₹ पांच प्रति वर्ग गज कर दिया एवं प्रस्ताव स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के पास अनुमोदन हेतु प्रेषित (8 मई 2015) किया। तथ्य यह है कि, स्वायत्त शासन विभाग के प्रस्ताव अस्वीकार करने के उपरान्त भी नगर परिषद ने विवाह स्थल स्वामियों से शपथ-पत्र/वचन-पत्र लेकर जुलाई 2015 से कम हुई दरों पर वार्षिक अनुमति शुल्क वसूल करना जारी रखा।

इस प्रकार, पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं किए जाने एवं स्वायत्त शासन विभाग के अनुमोदन के बिना वार्षिक अनुमति शुल्क को स्वेच्छा से घटाए जाने के परिणामस्वरूप विवाह स्थलों से ₹ 97.12 लाख (***परिशिष्ट-XXI***) की वसूली कम/नहीं हुई।

नगर परिषद ने अवगत (फरवरी 2018) कराया कि उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश की अनुपालना में 15 प्रकरणों के आदेश के विरुद्ध 12 प्रकरणों में 50 प्रतिशत राशि जमा की जा चुकी है।

प्रकरण राज्य सरकार को जून 2017 में संदर्भित किया गया; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2018)।

जयपुर, **(आर. जी. विश्वनाथन)**
दिनांक 25 जून 2018 **प्रधान महालेखाकार**
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

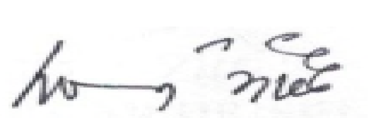

नई दिल्ली, **(राजीव महर्षि)**
दिनांक 2 जुलाई 2018 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**